



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244376
CG-DL-E-14032023-244376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1150]
No. 1150]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1197(अ).—मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना का. आ. 2797(अ) दिनांक 2 अगस्त, 2019 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिवमोग्गा जिलों में स्थित है, जो 13° 54' 19" उ से 14° 31' 10" उ अक्षांश और 74° 29' 50" पू से 74° 58' 42" पू देशांतर के बीच स्थित है। इस अभयारण्य को पहले 1897 में 04-10-1987 की अधिसूचना सं. 7309 बी 7-10-1897 के बीबीजी के भाग-I पृष्ठ 1711-1715 के अनुसार आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2019 में, कानून की उचित प्रक्रिया से गुजरने के बाद, कर्नाटक राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफईई 12 एफडब्ल्यूएल 2019 बेंगलुरु दिनांक: 07.6.2019 द्वारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) 1972 की उप-धारा 26-क (1) (ख) के प्रावधानों के तहत, दिनांक 13.06.2011 की अधिसूचना सं. एफ ई ई 141 एफ डब्ल्यू एल 2011 द्वारा "अघनाशिनी लायन-टेल्ड मैकाक कंजर्वेशन रिजर्व" क्षेत्र के हिस्से के रूप में घोषित करने वाली पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, 930.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है।

और, शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है, जो मुख्य रूप से चरमोत्कर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध-सदाबहार वनों और पहाड़ी चोटियों पर घास के मैदानों से आच्छादित है, और विविधता तथा किस्म, दोनों में, वनस्पतियों और जीवों में अत्यधिक समृद्ध है। ये वन अपनी समीपता और मौसमी फल देने वाले लम्बे ऊँचे वृक्षों की उपलब्धता के कारण आर्बोरियल जीवों और पक्षीजात में बेहद समृद्ध हैं। इस परिदृश्य में मौजूद आर्बोरियल स्तनपायी का सबसे विशिष्ट शेर-पूँछ मकाक (एलटीएम) है। भू-भाग विविध ऊँचाई के साथ अत्यधिक ऊँचा-नीचा है। यह क्षेत्र बारहमासी नालों और बड़ी संख्या में छोटी धाराओं वाला है। यह क्षेत्र लगभग 930.16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 348.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होन्नावर डिवीजन और 95.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कनारा सर्कल, उत्तर कन्नड़ के सिरसी डिवीजन में पड़ता है और 486.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शिवमोग्गा वन्यजीव डिवीजन में और 55.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शिवमोग्गा सर्किल के सागरा डिवीजन में पड़ता है।

और जबकि, शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य में बहुत समृद्ध वनस्पति और जीव विविधता है। घाटियों में सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन एक्टिनोडाफेन एंगस्टिफोलिया, एक्टिनोडाफने मालाबारिका, एग्लिया एलाओग्रोइडिया, आर्टोकार्पस हिर्सुटस, आर्टोकार्पस लकूचा, एटलांटिया वाइटी, कैलमस थवाइटिस, कैरियोटा यूरेन्स, सेड्रेला तूना, सिनामोमम मालाबथ्रम, क्रिप्टोकार्या बॉडिलोनी, डिलेनिया पेंटाग्याना, डिमोकार्पस लॉन्गाना, डायोस्पायरोस बुक्सिफोलिया, डायोस्पायरोस कैंडोलियाना आदि जैसे वृक्ष प्रजातियों में बेहद समृद्ध हैं और सेमीकर्पस कथालेकंसिस जैसी स्थानिक प्रजातियों का घर भी है। अभयारण्य भारतीय गौर, चीतल, तेंदुआ, उडन गिलहरी, मालाबार जाइंट गिलहरी आदी का आश्रय स्थल है। इस परिदृश्य में मौजूद आर्बोरियल स्तनपायी में सबसे विशिष्ट शेर-पूँछ मकाक (एलटीएम) है। रिकॉर्ड की गई पशु विविधता में स्तनधारियों की 38 प्रजातियाँ, पक्षियों की 164 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 43 प्रजातियाँ, उभयचरों की 26 प्रजातियाँ, मीठे पानी की मछलियों की 17 प्रजातियाँ और तितलियों की 77 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य में उपलब्ध अतिसंवेदनशील, दुर्लभ, संकटापन्न, और लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियाँ लायन-टेल्ड मकाक (मकाका सिलेनस), तेंदुआ (पैथेरा पार्डस), ढोल (कुओन अल्पाइनस), पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकाउडाटा), तेंदुआ बिल्ली (प्रिओननैलुरस बेंगालेंसिस), भूरा पाम सिवेट (पैराडॉक्सुरस जेडोनी), स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डीग्रैडस), इंडियन क्रेस्टेड पोरपाइन (हिस्ट्रिक्स इंडिका), मार्श क्रोकोडाइल (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस), बेडडोम टॉड (दत्ताफ्रीनस बेडडोमी), मालाबार टॉरेंट टॉड (घाटोफ्रीन ऑरनेट), सह्याद्री फेजेर्वर्या (फेजेरवर्य सह्याद्रिस), मुद्दुराजा क्रिकेट मेंढक (फेजेरवर्या मुद्दुराजा), मैंगलोर क्रिकेट मेंढक (फेजेरवर्या ग्रानोसा), मालाबार ट्री टॉड (पेडोस्टिबस ट्यूबरकुलोसस), मार्बल रामनेला (रामनेला मोरमोराटा), जॉंग नाइट फ्राँग (निकिट्वाट्रेचस जॉंग) हुमायूँ नाइट फ्राँग (निकिट्वाट्रेचस हुमायूनी), कर्नाटक बबल नेस्ट फ्राँग (राओरचेस्टेस चारियस) पोनमुडी बुश मेंढक (राओरचेस्टेस पोनमुडी), स्मॉल ट्री फ्राँग (राकोफोरस

लेटरलिस), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्नाह), व्हाइटकर बोआ (एरीक्स व्हाइटकेरी), ब्लैक बेलीड शीलड टेल (टेरेटूरस सेंजाइनस), वूली नेकड स्टॉर्क (सिसोनिया एपिस्कोपस), लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क (लेप्टोप्टिलोस जावनिकस), आदि हैं।

और, अभयारण्य में उपलब्ध अतिसंवेदनशील, दुर्लभ, संकटापन्न लुप्तप्राय और स्थानिक पौधों की प्रजातियां सिजिगियम ट्रैवनकोरिकम, जिम्नाक्रांथेरा कैनेरिका, मिरिस्टिका फतुआ, होलिंगारना बेडडोमेई, एच.ग्राहमी, होपिया पोंगा, हाइड्रोनोकार्पस लॉरिफोलिया, नेमा एटेनुआटा, लिटसी लेविगाटा, मल्लोटस फिलिपेंसिस, मैपिया फोएटिडा, मिरिस्टिका मालाबारिका, साराका अशोका, रावोल्फिया सर्पेटिना, आदि हैं;

और, अभयारण्य के जंगल शेरावती और अघनाशिनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों के लिए जलग्रहण क्षेत्र हैं, इसके अलावा मिट्टी और जल संरक्षण व्यवस्था पर उनके अनुकूल प्रभाव के माध्यम से गरसोप्पा जलाशय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली कई धाराएँ हैं। अभयारण्य के जंगल सूक्ष्म जलवायु में सुधार करते हैं और आसन्न बस्तियों और कृषि भूमि की मिट्टी और जल संरक्षण व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं;

और, शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिवमोग्गा जिले में शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य से 1 किलोमीटर से 5.25 किलोमीटर तक के घटते-बढ़ते क्षेत्र को शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य की सीमा के आसपास 1 से 5.25 किलोमीटर की सीमा तक होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 679.15 किमी² है जिसमें 416.99 किमी² वन क्षेत्र और 262.16 किमी² गैर-वन क्षेत्र सम्मिलित है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	विस्तार
उत्तर	1 -2.98 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1 -4. किलोमीटर
पूर्व	1 -3.5 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1 -5.25 किलोमीटर
दक्षिण	1-2.6 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1 -4.66 किलोमीटर
पश्चिम	1-3.1 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1-2.6 किलोमीटर

- (2) शेरावती घाटी लायन टेलड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण उपाबंध-I में दिया गया है।
- (3) शेरावती घाटी लायन टेलड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के मानचित्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIIग में दिए गए हैं।
- (4) शेरावती घाटी लायन टेलड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और ख में प्रदान की गई है।
- (5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं पर उनके निर्देशांकों के साथ उपाबंध-IV में संलग्न है।
- (6) शेरावती घाटी लायन टेलड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र ग्रामों की सूची उपाबंध-V में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी प्रबंधन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस तरह से तैयार किया जाएगा जैसा कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है और प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य कानूनों और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी।
- (3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- i. पर्यावरण;
- ii. वन एवं वन्यजीव;
- iii. कृषि;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;
- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका;
- x. पंचायती राज
- xi. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- xii. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध, विनियमित एवं संवर्धित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-टर्मिनस होगा।

(9) इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार गठित निगरानी समिति को भेजा जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस अधिसूचना के पैरा 6 के उप-पैरा (4) में प्रदान किया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

i. मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

ii. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

v. पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के रीजनल प्लानिंग एक्ट और अन्य नियमों और विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी शामिल है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई गई कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख). वनरोपण और पर्यावरण बहाली कार्यकलापों के माध्यम से अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल निकाय.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) पर्यटन अथवा पारि-पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर पर्यटन से संबंधित वर्तमान क्रियाकलापों का विस्तार अथवा सभी नये पारि-पर्यटन कार्यकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होंगे ।

(ख) पारि-पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

i. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थिकि-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षमता अध्ययन के आधार पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

ii. आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा ।

(4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का हिस्सा होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर तैयार की जाएगी और आंचलिक महायोजना में शामिल होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण पर्यावरण अधिनियम के तहत पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए सामान्य मानकों और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, इनमें से जो भी अधिक कड़े हो, के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहन-यातायात.- वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाईयां: - (i) सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमत नहीं होगी

(ii) फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, और इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषणकारी कॉटेज उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) का कारण बनने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योगों और मौजूदा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते, कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योग पदोन्नत किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना*।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: बशर्ते, कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप*।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: बशर्ते, कि स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और गैर-खतरनाक, लघु-स्तरीय और सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग जो पर्यावरण से स्वदेशी सामग्री से उत्पाद तैयार करते हैं, को पारिस्थितिक संवेदी जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	विद्युत और संचार टावरों का निर्माण और केबल और अन्य अवसंरचनाएं विद्यमान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल विद्यमान को बढ़ावा दिया जा सकता है)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन संबंधी उपाय करना।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन संबंधी उपाय करना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन में उड़ान भरना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	डेयरी, डेयरी फार्मिंग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएं।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी गई है।
20.	फर्मों, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के अलावा लागू कानूनों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर)।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल और बहिस्त्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्रावों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव के निर्वहन को लागू कानूनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भू-जल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	पारि-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	कृषि और अन्य उपयोगों के लिए खुला कुआं, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग.संबंधित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरों सहित कुटीर उद्योग आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

35.	बागवानी के वृक्षारोपण और हर्बल्स।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बंजर भूमि की बहाली या	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

*डब्ल्यू.पी. 2022 का 131377 में और डब्ल्यू.पी. 1995 का 202, टी.एन. गोदावर्मन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के निष्कर्ष के अधीन।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी हेतु-केंद्र सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
i.	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगाम मंडल	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु मंडल	पदेन, सदस्य;
iii.	पर्यावरण विभाग, शिमोगा जिला और उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
iv.	शहरी विकास विभाग, शिमोगा जिला और उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
v.	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड/कर्नाटक राज्य सिंचाई विभाग/कर्नाटक राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
vi.	कर्नाटक सरकार द्वारा प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा	गैर-सरकारी, सदस्य;
vii.	प्रतिष्ठित संस्थान या कर्नाटक राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	गैर-सरकारी, सदस्य;
viii.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	पदेन, सदस्य;
ix.	जिला कलेक्टर, उत्तर कन्नड़	पदेन, सदस्य;
x.	जिला कलेक्टर, शिवमोग्गा	पदेन, सदस्य;
xi.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर कन्नड़	पदेन, सदस्य;
xii.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शिवमोग्गा	पदेन, सदस्य;
xiii.	उप वन संरक्षक, होनावर प्रभाग	पदेन, सदस्य;
xiv.	उप वन संरक्षक, सिरसी प्रमंडल	पदेन, सदस्य;
xv.	उप वन संरक्षक, सागर प्रमंडल	पदेन, सदस्य;
xvi.	उप वन संरक्षक, शिवमोग्गा वन्यजीव प्रभाग	पदेन, सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन होने तक होगा, बशर्ते कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/138/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. के.के.ट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

कर्नाटक राज्य में शेरावती घाटी लायन टेल मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर	एलटीएम पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चिम्मोली, हेब्रे और बुगाडी ग्रामों के ट्राइजंक्शन पॉइंट से शुरू होती है। फिर यह हेब्रे ग्राम की सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है जब तक कि यह हेब्रे ग्राम के वन सर्वे संख्या 190 और वन सर्वे संख्या 183 पर जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती है और फिर यह उत्तर की ओर वन सर्वे संख्या 183 और वन सर्वे संख्या 190 (हेब्रे) की सर्वे संख्या के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है जब तक यह हेब्रे वन सर्वे सं 190,183 और देवीमाने वन सर्वे संख्या 23 के ट्राइजंक्शन बिंदु पर देवीमाने ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती है। फिर यह सिरसी-कुमाता राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँचने तक हेब्रे की सीमा के साथ उत्तर की ओर बढ़ती है, फिर सड़क के साथ पूर्व की ओर तब तक चलती है जब तक यह हेब्रे वन सर्वे सं -111 और 68 के जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर हेब्रे ग्राम के 68 और 55 की वन सर्वे संख्या 55 की सीमा पर पड़ता है, जब तक कि हेब्रे वन सर्वे सं 55, होसुरु वन सर्वे सं 9, 18, तप्पर वन सर्वे सं 2, 25 के जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर सीमा रेखा पूर्व की ओर होसुरु की सीमा के साथ-साथ सिरसी-कुमाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंडाला ग्राम की सीमा तक पहुँचती है। फिर सीमा रेखा सिरसी-कुमाता राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर चलती है जब तक कि यह खुरसे ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर दक्षिण की ओर बंडाला ग्राम की सीमा के साथ बडागी ग्राम की सीमा तक पहुँचती है। इसके बाद बडागी ग्राम की सीमा के साथ-साथ हल्लीबेल ग्राम की सीमा तक पूर्व की ओर बढ़ती है।
उत्तर-पूर्व	फिर सीमा रेखा हल्लीबेल ग्राम की सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती है जब तक कि यह कांचिकाई ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर सीमा कांचिकाई ग्राम की सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह मुलगुंडा ग्राम तक नहीं पहुँच जाती। सीमा रेखा मूलगुंडा ग्राम की सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह नीलकुंडा ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह नीलकुंडा ग्राम की सीमा के साथ दक्षिण की ओर चलती है जब तक कि यह हंड्यानामठ ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह हंड्यानामठ ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है जब तक कि यह शिवलमाने ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर तब तक चलती है जब तक यह हेगडे ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह हेगडे ग्राम की सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह उंचल्ली ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर ग्राम की सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हरिगर ग्राम की सीमा तक पहुँच जाती है। फिर यह हरिगर ग्राम की उत्तर-पश्चिम सीमा तक गिरती है जब तक कि यह धारा को नहीं छूती है, तब तक यह धारा के साथ पश्चिम की ओर गिरती है जब तक कि यह अधनाशिनी नदी तक नहीं पहुँच जाती।
पूर्व	सीमा रेखा होन्नेकुम्बु वन सर्वे सं:15,6 और हविनाबीलु वन सर्वे सं:82 के जंक्शन पर शुरू होती है और अधनाशिनी नदी के साथ-साथ वन सर्वे सं:82s उत्तरी सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह जीपीएस सं: उ14.4146702, पू074.7706814 तक नहीं पहुँच जाती, फिर यह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है और सर्वे सं:130 तक पहुँचती है और वन सर्वे सं:82 की सीमा रेखा का अनुसरण करती है जब तक कि यह 82/बी13 तक नहीं पहुँच जाती है और फिर यह 82/ बी13, 82/ बी10 के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है और जीपीएस सं: उ14.4037527, पू074.7722429 पर सोर्विकोप्पा के उत्तरी बिंदु पर पहुँचती है। यह जीपीएस सं: उ14.4037527, पू074.7722429 पर शुरू होती है जब तक यह बेट्टा 182बी तक नहीं पहुँचती तब तक यह दक्षिण दिशा में चलती है और वन सर्वे 143 के साथ बेट्टा 182बी की पूर्वी सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह वन सर्वे 119 तक नहीं पहुँच जाती है और वन सर्वे 119 की पश्चिमी सीमा का अनुसरण करती है जब तक यह ओजागर तक नहीं पहुँच जाती है और फिर बेट्टा सर्वे 188 और 192बी1 की ईस्टस्टर्न सीमा का अनुसरण करती है और फिर यह ग्राम की सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर तब तक बढ़ती है जब तक यह पहुँच नहीं जाती। यह ओजागर की पूर्वी सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह सोविनाकोप्पा के बेट्टा सर्वे.सं 188 तक नहीं पहुँचती (पूरे ओजागर शामिल हैं)। यह सोविनाकोप्पा ताराखंड के ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होती है, और छप्परमाने चप्परमाने की सीमा के साथ दक्षिण का अनुसरण करती है जब तक कि यह मल्की सर्वे 52 तक नहीं पहुँचती है और फिर

यह पीडब्ल्यूडी रोड के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ती है जब तक कि यह सर्वे सं 9बी1 पर मवीनाकोड की ग्राम सीमा तक नहीं पहुंच जाती। यह 9बी1 से शुरू होता है और मवीनाकोड की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का अनुसरण करती है, जिसमें पूरा ग्राम शामिल है, जब तक कि यह सर्वे9 (नदी) में इलीमाने तक नहीं पहुंच जाता। यह सर्वे.सं9 में नदी से शुरू होती है। नदी और ग्राम की सीमा का अनुसरण करते हुए गुब्बागोड तक पहुंचती है। यह बेट्टा सर्वे 117/9 पर बेगरा, किबल, कलाकई ग्रामों त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होती है और पश्चिम दिशा का अनुसरण करती है जब तक कि यह डोडमाने, कौसल, किबल ग्रामों के ट्राइ-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। यह डोडमाने, कौसले, किबल ग्रामों के ट्राइ-जंक्शन बिंदु से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है जब तक कि यह कुडेगोड तक नहीं पहुंच जाती। यह कौसले, किबल, कुडेगोडु ग्रामों के त्रि जंक्शन बिंदुओं से शुरू होकर नीचे की ओर कुडेगोडु ग्राम की पूर्वी सीमा का अनुसरण करते हुए धनाव ग्राम तक पहुंचती है। यह कुडेगोडु, किबल, दानमाव ग्रामों के त्रि जंक्शन बिंदुओं से शुरू होती है, जब तक यह वाजागोड तक नहीं पहुँचती, तब तक यह धनमाव ग्राम की उत्तरी ग्राम सीमा का अनुसरण करती है। यह वाजागोड, केलागिनमाने, केरेमाने ग्रामों के त्रि जंक्शन बिंदुओं से शुरू होती है, फिर यह उत्तरी सीमा का अनुसरण करती है, फिर केरेमाने ग्राम की सीमा के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती है जब तक कि यह हुक्कली तक नहीं पहुंच जाती। यह हुक्कली, अलवल्ली और केरेमेन ग्रामों के ट्राइजंक्शन बिंदु से शुरू होती है और हुक्कली ग्राम की उत्तरी ग्राम की सीमा तक यात्रा करती है, जब तक कि यह हुक्कली, अलवल्ली, और कुदुगुंडा की ग्राम सीमाओं के त्रि जंक्शन पोंट तक नहीं पहुंच जाती। यह हुक्कली, अलवल्ली और कुदुगुंडा की ग्राम की सीमाओं के त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होता है, फिर यह उ/पू दिशा की ओर बढ़ती है कुदुगुंडा की उत्तरी ग्राम की सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह हेमागर की ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। यह चंद्रघाटगी, कुदुगुंडा और हेमागर ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होती है और हेमागर की उत्तरी और पूर्वी ग्राम की सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह कुलिबिडु ग्राम तक नहीं पहुंच जाती। यह हेमगरा, कुलिबिडु और मेनसी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होती है और एसएच 50 के साथ कुलिबिडु की ग्राम सीमा का अनुसरण करती है जब तक कि यह कोडकानी ग्राम में एसएच 206 तक नहीं पहुंच जाती है। पश्चिम की ओर यह एसएच 206 का अनुसरण करती है जब तक कि यह हाई टेंशन करंट रेखा तक नहीं पहुंच जाती हाई टेंशन करंट रेखा के साथ द/प दिशा को तब तक बढ़ती है जब तक यह शेरावती नदी तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह शेरावती नदी के साथ-साथ पूर्वी दिशा की ओर नदवदा तालकलाले सर्वे संख्या 118 और 151 के सामान्य बांध से मिलती है। फिर रेखा धारा के साथ-साथ पूर्व दिशा की ओर 3 ग्राम नामतः करगल, नदवदा तालाकले और बिलिगल्लुरु के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है। फिर रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे सं 97 की सीमा में विभिन्न दिशाओं की ओर बिलिगल्लुरु और ब्राह्मणा इलकलाले ग्रामों के सामान्य बिंदु से मिलने के लिए चलती है। फिर रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे सं 96 की दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व और पूर्व दिशा में बिलिगल्लुरु सर्वे सं 63, 66 और 96 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलती है बिलिगल्लुरु सर्वे सं 63 और 29 से होकर बिलिगल्लुरु सर्वे सं 28 और 1 के उत्तर-पश्चिम बांध तक पहुंचती है। पुनः रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे सं 24 की उत्तरी सीमा के साथ बिलिगल्लुरु सर्वे सं 24, 23, 31 और 29 के क्वार्ट-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे सं 31 की पश्चिम सीमा के साथ चलती है और बिलिगल्लुरु सर्वे सं 29, 30 और 31 के जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे सं 31 की उत्तरी सीमा के साथ चलती है और बिलिगल्लुरु सर्वे सं 30, 31, 32 और 40 के क्वार्ट-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा बिलिगल्लुरु सर्वे संख्या 32 की उत्तरी सीमा के साथ बिलिगल्लुरु सर्वे संख्या 32,33 और लिंगानामक्की सर्वे संख्या 1 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए विभिन्न दिशाओं की ओर जाती है। फिर रेखा उत्तर पूर्व दिशा में शेरावती नदी के बाएं किनारे से मिलने के लिए बिलिगल्लुरु और लिंगनमक्की ग्राम की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा शेरावती नदी के आर-पार होकर शेरावती नदी के दाहिने तट हरावले ग्राम के सर्वे सं.33 तक जाती है। फिर रेखा हरावले सर्वे सं 33 के दक्षिण-पूर्व बांध से मिलने के लिए हरावले और इडुवानी ग्राम की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा इडुवानी सर्वे सं 4 के दक्षिण-पूर्व बांध से मिलने के लिए इडुवानी सर्वे सं 26 से गुजरती है। फिर रेखा हरावले और इडुवानी ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और हरावले और इडुवानी ग्राम के हरावले सर्वे सं 67 और 53 के सामान्य बांध से मिलती है। फिर रेखा हरावले ग्राम के सर्वे सं 67 और 53 की सामान्य सीमा के साथ पूर्वी दिशा में चलती है और हरावले ग्राम के सर्वे सं 42 के दक्षिण पश्चिम बांध से मिलती है। सैय के त्रि-जंक्शन

बांध से मिलने के लिए हरावले ग्राम के 42 सं. हरावले ग्राम के सं 43, 41, 66। रेखा फिर से उत्तर पूर्व दिशा में हरावले ग्राम और तलावता ग्राम के सर्वे सं 66 और 67 के सामान्य बांध से मिलने के लिए हरावले ग्राम के सर्वे सं 66 व 67 सं. की सामान्य सीमा के साथ चलती है। रेखा फिर से दक्षिण पूर्व दिशा में हरावले ग्राम और तलावता ग्राम की सामान्य सीमा के साथ तलावता, हिरेमाने और हरावले ग्राम के सामान्य बांध से मिलने के लिए चलती है। फिर रेखा हिरेमाने सर्वे संख्या 102 की उत्तरी सीमा को पार करती है और हिरेमाने के सर्वे सं. 20 और 102 के सामान्य बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा सर्वे संख्या 20 हिरेमाने ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ चलती है हिरेमाने ग्राम के सर्वे सं 21, 102, 20 व 1 के चतुर्भुज जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा हिरेमाने ग्राम के सर्वे सं 1 की पूर्वी सीमा और हिरेमाने ग्राम के सर्वे सं 1 की दक्षिण सीमा में दक्षिण दिशा की ओर जाती है। यह पूर्व दिशा में चलती है और हिरेमाने ग्राम के सर्वे सं 216, 112 और 171 के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा हिरेमाने ग्राम के सर्वे सं 1 और सर्वे सं 171 की एक सामान्य सीमा में उत्तर दिशा के साथ चलती है और हिरेमाने ग्राम के सर्वे संख्या सं 213, 137, 1 और 171 के चतुर्भुज जंक्शन पर पहुंचती है। फिर रेखा हिरेमाने ग्राम की सर्वे संख्या 171 की उत्तरी सीमा में जाती है और तालगुप्पा ग्राम और हिरेमाने ग्राम के सामान्य बिंदु तक पहुंचती है। फिर रेखा सर्वे संख्या 160 की सीमा के साथ एक अलग दिशा में चलती है और तालगुप्पा ग्राम के सर्वे संख्या 160 और 155 के सामान्य बांध तक पहुंचती है।

फिर रेखा सर्वे संख्या 155 की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है और सर्वे संख्या 155 और 149 के सामान्य बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा पूर्व दिशा में तलगुप्पा ग्राम की सर्वे संख्या 149 की उत्तरी सीमा के साथ चलती है और तलगुप्पा ग्राम के क्रम संख्या 136, 149, 150 और 171 के चतुर्भुज बांध तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा पूर्व दिशा में तलगुप्पा ग्राम की 136, 132 और 130 की दक्षिणी सीमा के साथ चलती है और तलगुप्पा ग्राम के सर्वे सं. 124, 130 और 123 के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा सर्वे संख्या की पूर्वी सीमा के साथ चलती है। दक्षिण दिशा में 124 और मराचूर ग्राम के सर्वे संख्या 157, 122 और तालगुप्पा ग्राम के सर्वे संख्या 124 के सामान्य बांध पर पहुंचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा में मराचूर की सर्वे संख्या 157, 158 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और मराचूर ग्राम के मराचूर ग्राम के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा में मराचूर ग्राम की सर्वे संख्या 123 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और बेलें और मराचूर ग्रामों के सामान्य बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा सर्वे संख्या 45 बेलें ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ चलती है और दक्षिण दिशा में बेलें और होसल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा तक पहुंचती है। इसके बाद रेखा पश्चिम और दक्षिण दिशा में बेलें और होसल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और बेलें, होसल्ली, बालेगेरे ग्रामों के सामान्य बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा बालिगरे सर्वे संख्या 4 और होसल्ली सर्वे संख्या 104 और 11 के त्रि-जंक्शन बांध को पूरा करने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बालिगरे और होसल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा होसल्ली सर्वे सं. 11 की उत्तरी सीमा के साथ होसल्ली सर्वे सं. 143 के उत्तर-पश्चिम बांध को मिलने हेतु विभिन्न दिशाओं में जाती है की दिशा। फिर रेखा होसल्ली सर्वे सं. 143 और 145 की सामान्य सीमा के साथ होसल्ली सर्वे सं. 143 के उत्तर-पूर्व बांध से मिलने के लिए चलती है। इसके बाद रेखा होसल्ली सर्वे सं. 11 की उत्तरी सीमा के साथ होसल्ली सर्वे सं. 22 और 11 के सामान्य बांध से मिलने के लिए विभिन्न दिशाओं की ओर जाती है। फिर रेखा अरेहड़ा, होसल्ली और नितलहेलेथोटा के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलने के लिए दक्षिण दिशा की ओर अरेहड़ा और होसल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में अरेहड़ा और नितलेहलेथोटा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और मरादवल्ली, अरेहड़ा, नितलहेलेथोटा और सासरवल्ली ग्रामों के सामान्य बिंदु तक पहुंचती है फिर रेखा एक पूर्व दिशा में मरादवल्ली, सासरवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और हुलेगारु, सासरवल्ली, मरदावली ग्रामों के सामान्य त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में हुलेगारु और मरदवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और केसुविनामाने, हुलेगारु और मरदवल्ली ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है।

फिर रेखा केसुविनामाने और हुलेगारु की सामान्य सीमा के साथ हल्कोडु, हुलेगारु और केसुविनामाने के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा हल्कोडु और हुलेगारु ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ चलती हुई खंडिका, हुलकोडु, हुलेगारु ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा खंडिका और हल्कोडु की सामान्य सीमा के साथ चलती है और बेनकाटावल्ली, हुलकोडु और खंडिका ग्रामों के ट्राइ-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा हल्कोडु और बेनकाटावल्ली ग्राम की सामान्य सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में चलती है और हल्कोडु सर्वे

	<p>नं. 48 और बेंकटावल्ली सर्वे सं. 56, 53 के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में सर्वे सं. 56 बेंकटावल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है फिर रेखा दक्षिण दिशा में सर्वे संख्या 64 बेनकटावल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ चलती है और सर्वे संख्या 64, 25 और 67 बेनकटावल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में सर्वे संख्या 67 और 25 बेंकटावल्ली ग्राम की सामान्य सीमा के साथ चलती है और बेंकटावल्ली ग्राम के सर्वे संख्या 75, 25 और 67 के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचता है। फिर रेखा सर्वे संख्या 75, 76, 77 और 78 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ विभिन्न दिशाओं में चलती है और सर्वे संख्या 78, 67 और 80 बेंकटावल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा सर्वे संख्या 67 बेनकटावल्ली ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ चलती है और नदवदल्ली और बेनकटावल्ली ग्रामों के सामान्य बिंदु तक पहुंचती है। फिर रेखा बेनकटावल्ली और नदवदल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ चलती है और बेनकटावल्ली, यदाजिगलेमाने, नदवदल्ली और ब्राह्मण बेदुरु के सामान्य चतुर्भुज जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा में नदवदल्ली और ब्राह्मण बेदुरु की सामान्य सीमा के साथ-साथ चलती है और नदवदल्ली, ब्राह्मण बेदुरु और चिक्कमत्तूर ग्रामों के त्रि-संयोजन बांध तक पहुंचती है फिर रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में चिक्कमट्टूर और ब्राह्मण बेदुरु ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और चिक्कमत्तूर ग्राम सर्वे संख्या 103 और 102 के सामान्य बांध पर पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा में चिक्कमट्टूर ग्राम सर्वे सं. 103 की पूर्वी सीमा के साथ चलती है और चिक्कमत्तूर और हुनालु मडिके ग्रामों के सामान्य बिंदु तक पहुंचती है। फिर रेखा हुनालुमाडिके की पूर्वी सीमा के साथ-साथ हुनालुमाडिके, अविनहल्ली और चिक्कमत्तूर ग्रामों के सामान्य त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा चिक्कमत्तूर, अविनहल्ली और ब्राह्मण बेदुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए पूर्व दिशा की ओर चिक्कमट्टूर और अविनहल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे संख्या 135 और 31 के सामान्य बांध से मिलने के लिए ब्राह्मण बेदुरु, अविनाहल्ली ग्रामों के साथ चलती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे सं. 157 के दक्षिण-पूर्व बांध से मिलने के लिए सर्वे सं 135 की पूर्वी सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे सं. 157, 156, 153, 152, 150, 148, 147 और 144 की उत्तरी सीमा के साथ चलती है। अविनाहल्ली सर्वे सं. 144 और 143 के सामान्य बांध से मिलने के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे सं. 143 की सीमा के साथ चलती है, फिर 144, 145, 146, 147, 148 और 149 की पश्चिमी सीमा और फिर अविनहल्ली सर्वे सं. 149, सेटलमेंट, सर्वे सं. 1, 2, 3, 6, 7 और 8 की दक्षिण सीमा तक अविनहल्ली सर्वे सं. 8, 98 और 135 के सामान्य त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए जाती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे सं. 123, 133 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए विभिन्न दिशाओं की ओर अविनहल्ली सर्वे सं. 135 और 135 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा अविनहल्ली सर्वे सं. 131 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर मट्टीकोप्पा और अविनाहल्ली ग्रामों के सामान्य बांध को पूरा करने के लिए चलती है। फिर रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मट्टीकोप्पा और अविनहल्ली गाँवों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और अविनाहल्ली सर्वे संख्या 131 और मट्टीकोप्पा सर्वे सं. 5, 12 और 13 के चतुर्भुज जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा में मट्टीकोप्पा सर्वे सं. 13 की पूर्वी सीमा के साथ चलती है, फिर धारा के दाहिने किनारे पर मट्टीकोप्पा की दक्षिणी सीमा तक पहुंचती है। फिर रेखा मट्टीकोप्पा और बेसुरु गाँवों की सामान्य सीमा के साथ विभिन्न दिशाओं में धारा के माध्यम से चलती है और मट्टीकोप्पा, अंबरगोडलू और बेसुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है।</p>
दक्षिण-पूर्व	<p>पुनः रेखा मट्टीकोप्पा, अंबरगोडलू और बेसुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन से शुरू होती है, रेखा दक्षिण दिशा में अम्बरगोडलू और बेसुरु ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और किप्पाडी, बेसुरु और अंबरगोडलू ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा में किप्पाडी और बेसुरु ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और किप्पाडी, हेब्सी और बेसुरु के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा हेब्सी सर्वे संख्या 62 और 71 के सामान्य बांध से मिलने के लिए हेब्सी और किप्पाडी ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा हेब्सी सर्वे संख्या 71 की पूर्वी सीमा के साथ हेब्सी सर्वे संख्या 3, 4, 71 और 62 के चतुर्भुज जंक्शन बांध से मिलने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर रेखा हेब्सी सर्वे संख्या 4 और 6 की उत्तर-पूर्व सीमा के साथ हेब्सी सर्वे संख्या 6, 9 और 56 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए चलती है।</p>

फिर रेखा विभिन्न दिशाओं में हेब्सी सर्वे संख्या 41, 55 और 56 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए हेब्सी सर्वे संख्या 56 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा हेब्सी सर्वे संख्या 55, 43 और 45 की दक्षिण-पूर्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और हेब्सी सर्वे संख्या 45, 41 और 48 के सामान्य त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा हेब्सी सर्वे सं. 48 की पूर्वी सीमा के साथ शेरावती नदी के दाहिने किनारे से मिलने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाती है। फिर रेखा शेरावती नदी के पार होसानगर टाक होसाकोटे सर्वे सं. 144 और 145 के सामान्य बांध से मिलने के लिए रेखा होसाकोटे सर्वे सं. 145 की पूर्वी सीमा के साथ होसाकोटे सर्वे सं. 144, 145 और ग्राम कुराडवानी के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर रेखा होसाकोटे, कुराडवानी और किरुवासी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलने के लिए पश्चिम दिशा की ओर कुराडवानी और होसाकोटे ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा किरुवासी सर्वे संख्या 433 और 434 के सामान्य बांध से मिलने के लिए धारा के माध्यम से पश्चिम दिशा की ओर किरुवासी और होसाकोटे ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में किरुवासी सर्वे संख्या 433 और 89 की दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलती है और किरुवासी सर्वे सं 89,71,434 तथा ब्राह्मण हरदुरू सर्वे सं 19 के सामान्य बिंदु तक पहुंचती है, फिर रेखा ब्राह्मण हरदुरू और किरुवासी सर्वे सं 71 की सामान्य सीमा के साथ चलती है और किरुवासी, चिमाले, नदवादा केप्पिगे और ब्राह्मण हरादुरु गाँवों के सामान्य बिंदु तक पहुँचती है। फिर रेखा चिमाले सर्वे संख्या 286, 285, 269 और 266 से होकर चिमाले सर्वे संख्या 247 और 166 और ब्राह्मण केपेगी सर्वे संख्या 112 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलती है। फिर रेखा ब्राह्मण केपेगी और चिमाले ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और ब्राह्मण केप्पिगे, कुदारुरु और चिमाले ग्रामों के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा उत्तर दिशा में कुदारुरु और ब्राह्मण केप्पिगे की सामान्य सीमा के साथ चलती है और तुमारी, ब्राह्मण केप्पिगे और कुदारुरु ग्रामों के ट्राइ-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा उत्तर पूर्व दिशा की ओर तुमारी और ब्राह्मण केप्पिगे की सामान्य सीमा के साथ चलती है, ब्राह्मण केप्पिगे, अरबल्ली और तुमारी ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा अरबल्ली और तुमारी गाँवों की सामान्य सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है और सर्वे संख्या 25 और 26 तुमारी गाँव के सामान्य बांध तक पहुँचती है। फिर रेखा तुमारी सर्वे सं. 25 की दक्षिण पूर्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और तुमारी सर्वे सं. 25, 24 और 114 के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुंचती है। फिर रेखा तुमारी सर्वे सं 114 की दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ चलती है और तुमारी ग्राम के सर्वे सं. 114 व 116 के सामान्य बांध पर पहुंचती है। फिर रेखा तुमारी सर्वे सं. 116 की दक्षिण सीमा के साथ चलती है और तुमारी, वैलेगेरे और कुदारुरु ग्रामों के ट्राइ-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा वैलेगेरे और कुदारुरु की सामान्य सीमा के साथ चलती है और चदारावल्ली, वैलेगेरे और कुदारुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है।

दक्षिण

रेखा चदारावल्ली, वालागेरे और कुदारुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन से शुरू होती है। रेखा चदारावल्ली सर्वे संख्या 131 और 137 के सामान्य बांध से मिलने के लिए कुदारुरु और चदरवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा हुनागालु सर्वे संख्या 78 और 60 के सामान्य बांध को पूरा करने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर कुदारुरु सर्वे संख्या 192 से गुजरती है। फिर रेखा हुनागालु सर्वे सं. 78, 66 और 62 की दक्षिणी सीमा के साथ विभिन्न दिशाओं की ओर चलती है और हुनागालु सर्वे संख्या. 62, 70, 78 के त्रि-जंक्शन बांध पर पहुंचती है। फिर रेखा विभिन्न दिशाओं में सर्वे संख्या 78 की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और हुनागालु सर्वे संख्या.51 और 78 चन्नागोंडा सर्वे संख्या 220 और 196 के चतुर्भुज जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चन्नागोंडा और हुनागालु ग्रामों की सामान्य के साथ चलती है और हुनागालु, चन्नागोंडा और बोबिगा ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा बोबिगा सर्वे संख्या 243 की पूर्वी सीमा के साथ बोबिगा सर्वे संख्या 246 और 243 के सामान्य बांध से मिलने के लिए चलती है। फिर रेखा बोबिगा सर्वे संख्या 243 की दक्षिणी सीमा के साथ विभिन्न दिशाओं की ओर बोबिगा सर्वे संख्या 248 के पश्चिम बांध से धारा के किनारे मिलती है। फिर रेखा बोबिगा और चन्नागोंडा ग्रामों की सामान्य सीमा से मिलने के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर धारा से होकर जाती है। फिर रेखा चन्नागोंडा और बोबिगा की सामान्य सीमा के साथ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर चलती है और चन्नागोंडा, कट्टीनाकारु और बोबिगा ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुंचती है। फिर रेखा दक्षिण दिशा की ओर कट्टीनाकारु

	<p>और बोब्बिगा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ करणी, कोडानावल्ली, बोब्बिगा और कट्टीनाकारू ग्रामों के चतुर्भुज जंक्शन तक पहुँचती है। फिर रेखा बोब्बिगा और कोडानावल्ली की सामान्य सीमा के साथ पूर्व की ओर चलती है और विभिन्न दिशाओं में बोब्बिगा सर्वे संख्या 165 और 169 के सामान्य बांध से मिलती है। फिर रेखा बोब्बिगा सर्वे संख्या 165 की पश्चिम सीमा के साथ उत्तर दिशा में बोब्बिगा सर्वे नं 160, 165 और 166 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए चलती है। फिर रेखा बोब्बिगा सर्वे सं. 160 की उत्तर-पश्चिम और उत्तरी सीमा के साथ-साथ बोब्बिगा और कोडानवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा से मिलने के लिए विभिन्न दिशाओं की ओर चलती है। फिर रेखा बोब्बिगा, कोडानावल्ली और कुदारु ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलने के लिए कोडानवल्ली और बोब्बिगा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर कुदारु और कोडानवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है और अदगलाले, कोडानावल्ली और कुदारु ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुँचती है। फिर रेखा कोडानावल्ली और अदगलाले ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर अडागले सर्वे संख्या 106 के उत्तर-पश्चिम बांध पर धारा से मिलने के लिए जाती है। फिर रेखा अदगलाले और मराठी ग्रामों की सामान्य सीमा को पूरा करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर अडागले सर्वे संख्या 106 में धारा से गुजरती है। फिर रेखा अडागले सर्वे संख्या 106 और 97 के सामान्य बांध से मिलने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर अडागले और मराठी ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा अडागलाले सर्वे नं. 124, 97 और 138 के त्रि-जंक्शन बांध से मिलने के लिए अडागले सर्वे संख्या 97 की पश्चिम, उत्तर और पूर्वी सीमा के साथ चलती है। फिर रेखा अडागले सि नं. 161 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उत्तर पूर्व की ओर चलती है और दक्षिण पूर्व दिशा अडागले सर्वे सं. 161, 42 और 44 के त्रि-जंक्शन बांध तक पहुँचती है। फिर रेखा अडागले सर्वे सं. 44 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है और अडागलेले सर्वे सं. 44, 63, 43 और शंकन्या शानबोगा ग्राम सर्वे सं 4 के सामान्य बिंदु तक पहुँचती है। फिर रेखा दक्षिण की ओर अडागलाले, शंकन्या शानबोग की सामान्य सीमा के साथ चलती है और विभिन्न दिशाओं में अडागलाले, शंकन्या शानबोग और मराठी ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुँचती है। फिर रेखा मराठी और शंकन्या शानबोग ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर चलती हुई मुकांबिका वन्यजीव अभयारण्य तक पहुँचती है। फिर रेखा शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक अभयारण्य और मुकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा के साथ होन्नावरा डिवीजन तक पहुँचती है। चूंकि मुकांबिका वन्यजीव अभयारण्य शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक अभयारण्य के दक्षिण में स्थित है, इसलिए कोई अलग पारिस्थितिक-संवेदी जोन सीमांकित नहीं है। होन्नावर डिवीजन में पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा शेरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य (13° 58' 5" उ, 74° 39' 4" पू) के सबसे दक्षिणी बिंदु से शुरू होती है, जो उत्तर कन्नड़ जिले की सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह नुज ग्राम के वन सर्वे संख्या. 24 व 28 के जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह नुज ग्राम की वन सर्वे संख्या 24 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर चलता है। तब तक इसकी पश्चिमी सीमा के साथ-साथ कगुंडी ग्राम की वन सर्वे संख्या 8 तक पहुँचती है और फिर मलकी सर्वे संख्या 1, 2, 5 और कगुंडी ग्राम के वन सर्वे संख्या 8 के बीच चलती है जब तक कागुंडी ग्राम और बेलंधुरु ग्राम के जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर सीमा कागुंडी ग्राम और बेलंधुरु ग्राम के बीच की सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर चलती है, जब तक कि यह कागुंडी, हलारी और बेलंधुरु ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर सीमा रेखा हलारी ग्राम की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलती हुई हलारी, हदलूर और बेसे ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुँचती है। फिर यह बेसे ग्राम को द्विभाजित करती है और बेलुरमाने और केरेहित्तला ग्राम की सामान्य सीमा से मिलती है और बेलुरमाने और केरेहित्तला ग्रामों के बीच चलती है जब तक कि यह बेलुरमाने और कुंटावनी और केरेहित्तला ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती।</p>
दक्षिण-पश्चिम	<p>बेलुरमाने और कुंटावनी और केरेहित्तला ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से सीमा रेखा कुंटावनी ग्राम को दो भागों में बांटती है और 14° 1' 14" उ, 74° 38' 4" पू पर हदवल्ली ग्राम की सीमा से मिलती है। उत्तर-पश्चिम दिशा के साथ-साथ हडवल्ली और कुंटावनी ग्रामों की सामान्य सीमा मरुकेरी, हडवल्ली और कुंटावनी ग्रामों के त्रि-जंक्शन तक पहुँचती है। फिर यह मरुकेरी और हडवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ मरुकेरी, हडवल्ली और मुरकोडी ग्रामों के त्रि-जंक्शन पॉइंट तक चलती है। फिर यह भटकल-सिद्दापुर स्टेट हाईवे तक पहुँचने तक मरथोडी और हडवल्ली ग्रामों की डाइविंग रेखा के साथ चलती है। फिर सीमा रेखा भटकल-सिद्दापुर राज्य राजमार्ग के साथ-साथ तब तक चलती है जब तक कि यह 14° 2' 28" उ, 74° 37' 51" पू</p>

	<p>पर हल्यानी ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह हल्यानी ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर चलती है जब तक यह बड़ाबाग ग्राम तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह बड़ाबाग ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ चलती है और फिर हुदिल ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ वन सर्वे संख्या 4 के दक्षिण पश्चिम कोने तक पहुँचती है। फिर यह हुदिल ग्राम की वन सर्वे संख्या 4 की पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। हुदिल ग्राम की वन सर्वे संख्या 54 तक यह दक्षिणी सीमा तक पहुँच जाती है। फिर यह हुदिल ग्राम के क्रमांक 54 से कोप्पा ग्राम की सीमा तक पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। फिर यह कोप्पा की वन सर्वे संख्या 251 और हुदिल ग्रामों की संख्या 40 की सामान्य सीमा के साथ चलता है फिर सीमा रेखा कोप्पा ग्राम के वन सर्वे संख्या 251 और वन सर्वे सं.258 और मलकी सर्वे 239 तक पहुँचता है। संख्या 258 कोप्पा ग्राम जब तक यह उत्तरकोप्पा धारा तक नहीं पहुँचता। फिर सीमा रेखा उत्तरकोप्पा धारा का अनुसरण करती है जब तक कि यह कोप्पा ग्राम की वन सर्वे संख्या 566 (हक्कल) के दक्षिणी बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह वन सी की पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। कोप्पा ग्राम की संख्या 566 (हक्कल) जब तक यह कोप्पा ग्राम की सर्वे संख्या 192। वन तक नहीं पहुँचती। फिर यह वन कोप्पा ग्राम की संख्या 192 की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। जब तक यह कोप्पा ग्राम के वन सर्वे संख्या 192, 181 और 491 के जंक्शन बिंदु से मिलती है। फिर यह वन कोप्पा ग्राम के संख्या 181 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ चलता है। यह कोप्पा ग्राम का वन सर्वे संख्या 195 के पश्चिमी तम कोने तक एक छोटे से नाले के पास पहुँचता है। फिर यह कोप्पा ग्राम की वन सर्वे संख्या 195 की उत्तरी सीमा के साथ चलता है। जब तक यह कोप्पा ग्राम की वन सर्वे संख्या 195, 175 और 162 के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँचती। फिर कोप्पा ग्राम की वन सर्वे संख्या 162 यह की पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। जब तक यह कोप्पा ग्राम की वन सर्वे संख्या 55, 162 और 75 के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँचती। फिर रेखा कोप्पा ग्राम के वन क्रमांक 55 व 26 तक की दक्षिणी सीमा के साथ चलती है। जब तक रेखा कोप्पा ग्राम के वन सर्वे संख्या 25से मिलती है।</p>
<p>पश्चिम</p>	<p>फिर सीमा रेखा कोप्पा ग्राम के संख्या 26 फ़ॉरेस्ट की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलती है और फिर कोप्पा ग्राम के वन सर्वे संख्या 27 की पश्चिम सीमा के साथ तक यह वन सर्वे संख्या 9 की दक्षिणी सीमा तक पहुँचता है। इसके बाद यह संपोली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ वन सी तक पहुँचने तक पूर्व की ओर चलती है। फिर यह अदकेकुली ग्राम के वन सर्वे संख्या 27 को द्विभाजित करता है। अदकेकुली ग्राम का वन सर्वे संख्या 27 और नं. 27, 26 18 और मल्की एस.आई. अदकेकुली ग्राम के वन सर्वे संख्या 8 के क्वाड्रा-जंक्शन बिंदु से मिलता है। फिर यह वन सी की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ चलता है। अदकेकुली ग्राम के 18 संख्या आशिकेरी ग्राम तक पहुँचने तक। फिर यह अशिकेरी ग्राम की सीमा के साथ-साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर तब तक चलती है जब तक यह मगोदा ग्राम की सीमा (मगोडा सर्वे. सं..83) तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह 100 मीटर तक मागोद ग्राम की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है जब तक कि यह वन सर्वे की सामान्य सीमा तक नहीं पहुँच जाती। मागोद ग्राम की वन सर्वे संख्या 79 और 82 और फिर यह इसके साथ-साथ क्वाड्रा-जंक्शन बिंदु तक चलती है वन सर्वे संख्या 79, 80, 82 और मल्की सर्वे सं. 13 मागोद ग्राम के संख्या फिर यह सी की सामान्य सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलती है। मागोद ग्राम के संख्या 80 और 21 तक यह वन सर्वे के चतुर्भुज-जंक्शन बिंदु पर शिरकुर ग्राम तक पहुँचता है। मागोद ग्राम के क्रमांक 1, 21 80 व शिरकुर ग्राम के 19 फिर यह वन सर्वे को द्विभाजित करता है। संख्या 18 और मल्की सर्वे। शिरकुर ग्राम का संख्या 6 और वन सर्वे की दक्षिणी सीमा से मिलता है। 14° 12' 19" उ, 74° 37' 3" पू पर शिरकुर ग्राम की संख्या 19, फिर यह वन सर्वे को द्विभाजित करती है। शिरकुर ग्राम के संख्या 19 तक वन सर्वे के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुँच जाता है। और मल्की सर्वे संख्या 19, 35 शिरकुर ग्राम के संख्या 27 फिर यह फ़ॉरेस्ट सी की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर चलती है। होन्नावर-नागाबस्तिकेरी रोड तक शिरकुर ग्राम के संख्या 35 तक। फिर यह होन्नावर-नागाबस्तिकेरी सड़क के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह मल्की सी तक नहीं पहुँच जाती। नगरबस्तिकर ग्राम के संख्या 293। फिर यह माल्की सर्वे की पूर्व और उत्तर-पूर्व सीमा के साथ चलता है। संख्या 293 जब तक यह धारा से नहीं मिलती। फिर यह धारा के साथ उत्तर की ओर चलती है जब तक कि यह शेरावती नदी से नहीं मिल जाती। फिर यह</p>

शेरावती नदी के बाएं किनारे के साथ चलती है जब तक कि यह कुदरीगी-साम्थी हैंगिंग ब्रिज तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह हैंगिंग ब्रिज के साथ नदी को पार करता है। फिर यह शेरावती नदी के दाहिने किनारे के साथ चलती है जब तक कि यह उप्पोनी ग्राम की सीमा तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह उप्पोनी ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ माहिम ग्राम की सीमा तक पहुंचती है। फिर यह पश्चिम की ओर उप्पोनी और माहिम ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ-साथ हेरांगडी ग्राम तक पहुंचती है। फिर यह होनावर-शिवमोगगा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-69) तक पहुंचने तक हेरांगडी और माहिम ग्राम की सामान्य सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर चलती है। फिर यह होनावर-शिवमोगगा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-69) के साथ-साथ अदकर ग्राम की सीमा तक चलता है। फिर यह अदकर और हेरांगडी ग्राम की सामान्य सीमा के साथ-साथ अदकर, तुमबोली और हेरांगडी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक चलता है। फिर यह हेरांगडी और थंबोली ग्राम की सामान्य सीमा के साथ चलता है जब तक कि यह त्रि-जंक्शन बिंदु वन सर्वे तक नहीं पहुंच जाता। थंबोली ग्राम और वन सर्वे संख्या 5 हेरांगडी ग्राम के क्रमांक 204 व 207 फिर यह उत्तर पश्चिम द्विभाजित वन की ओर बढ़ता है। थंबोली ग्राम का वन सर्वे संख्या 5 और की दक्षिणी सीमा से मिलता है। 14° 15' 40" उ, 74° 33' 40" पू पर थंबोली ग्राम का संख्या 11 फिर यह उत्तर द्विभाजित वन सर्वे की ओर बढ़ता है। थंबोली ग्राम का संख्या 11 और थंबोली, जलवल्ली और हेरावली ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलता है। फिर यह हेरावली और थंबोली ग्राम की सामान्य सीमा के साथ-साथ गुंडबाला ग्राम की सीमा तक चलती है। फिर यह हेरावली और गुंडबाला ग्राम की सामान्य सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह हेरावली, गुंडबाला और चिकनकोडा ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह गुंडबाला ग्राम की पश्चिम सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह एक धारा (गुंडबाला ग्राम के वन सर्वे संख्या 142 के उत्तर पश्चिम कोने) तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह धारा के साथ पूर्व दिशा की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह मलकी सी के उत्तर पश्चिम कोने तक नहीं पहुंच जाती। गुंडबाला ग्राम के सर्वे संख्या 106 फिर यह मलकी की उत्तरी सीमा के साथ चलता है। गुंडबाला ग्राम के संख्या 106 तक यह मलकी सीमा से मिलता है। गुंडबाला ग्राम के संख्या 130 फिर यह मलकी की पूर्वी सीमा के साथ चलता है। संख्या 130 गुंडबाला ग्राम और फिर मलकी सर्वे की पश्चिमी सीमा के साथ गुंडबाला ग्राम के 105 संख्या वन तक पहुंचने तक सी। गुंडबाला ग्राम के संख्या 146 फिर यह वन सी की पश्चिमी सीमा के साथ चलता है। सालकोड ग्राम की सीमा तक पहुंचने तक गुंडबाला ग्राम की संख्या 146 फिर यह वन सी की पश्चिम सीमा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। सालकोड ग्राम की संख्या 396 जब तक यह मलकी सिय के जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुंचती है। वन सर्वे संख्या 480 और सालकोड ग्राम के संख्या 332 इसके बाद यह मलकी की पूर्वी सीमा को पार करने के बाद अरेंगाडी तुलसानी रोड से मिलती है। सालकोड ग्राम के संख्या 480 फिर रेखा अरेंगाडी तुलसानी रोड के साथ-साथ पश्चिम की ओर तब तक चलती है जब तक कि यह मलकी सर्वे की पश्चिमी सीमा तक नहीं पहुंच जाती। सालकोड ग्राम के संख्या 335। फिर यह वन सर्वे को द्विभाजित करता है। सालकोड ग्राम का संख्या 291ए/ए1 और मलकी सर्वे की सामान्य सीमा तक पहुंचता है। संख्या 257 और बेट्टा सर्वे। सालकोड ग्राम के संख्या 256बी। फिर यह फॉरेस्ट सी के माध्यम से पूर्व की ओर द्विभाजित करता है। सालकोड ग्राम के संख्या 256ए और वन सर्वे के उत्तर पश्चिम कोने में मिलते हैं। सालकोड ग्राम के संख्या 256ए। फिर यह पश्चिम की ओर चलती है और 14° 20' 13" उ, 74° 29' 56" पू पर नीलकोड ग्राम की सीमा से मिलती है। फिर यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर नीलकोड ग्राम को विभाजित करती है और फिर कडले, नीलकोड और त्रि-जंक्शन बिंदु पर मिलती है। होदिकेशिरूर ग्राम। होदिकेशिरूर, कडले और नीलकोड ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से रेखा कडले और होदिकेशिरूर ग्रामों की विभाजन सीमा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर चलती है जब तक कि यह अरेंगाडी-चंदावर सड़क तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद यह उत्तर की ओर अरेंगाडी-चंदावर सड़क के साथ चलती है जब तक कि यह कांवे कटरी में सड़क जंक्शन तक नहीं पहुंच जाती। फिर यह कदनीर ग्राम तक पहुंचने तक होदिकेशिरूर सड़क के साथ चलता है। फिर यह दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर होदिकेशिरूर और कदनीर ग्राम की सामान्य सीमा के साथ चलता है जब तक कि यह कडनीर ग्राम के वन सर्वे क्रमांक 12, 81, 82 व होदिकेशिरूर ग्राम के मलकी सर्वे संख्या 49 के सामान्य बांधों तक नहीं पहुंच जाता।


उत्तर पश्चिम

कडनीर ग्राम के सामान्य बांधों के वन सर्वे सं. 12, 81, 82 व होदिकेशिरूर ग्राम की मलकी सर्वे संख्या 49 सीमा रेखा उत्तर-पूर्व की ओर वन सर्वे की सामान्य सीमा के साथ चलती है। कडनीर ग्राम के वन सर्वे संख्या

12 और 81 तक यह के पश्चिमी सबसे बिंदु तक पहुंचता है। कदनीर ग्राम के वन सर्वे संख्या 80 फिर यह की सामान्य सीमा के साथ उत्तर-पूर्व की ओर चलती है। कदनीर ग्राम की संख्या 80 और 79 तक होंगेरी ग्राम की सीमा तक फिर यह होंगेरी ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलती हुई अबोली ग्राम के सबसे दक्षिणी बिंदु तक पहुँचती है। फिर यह वन सर्वे को द्विभाजित करता है। होंगेरी ग्राम की संख्या 12 और 14° 23' 4" उ, 74° 34' 59" पू पर उल्लुरमाथा ग्राम से मिलती है। फिर यह पूर्व की ओर वन सी के साथ चलती है। उल्लुरमाथा ग्राम के वन सर्वे संख्या 6 तक पहुंचता है और उल्लुरमाथा ग्राम का संख्या 25 जब तक यह अब्बोली, अंगारा और उल्लुरमाथा ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाता। फिर यह उत्तर पूर्व की ओर अंगारा और उल्लुरमाथा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ चलती है, जब तक कि यह उल्लुरमाथा, बसोली और अंगारा ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु तक नहीं पहुँच जाती। फिर यह बसोली ग्राम को दो भागों में विभाजित करती है और एक धारा से मिलती है और धारा के साथ उत्तर की ओर चलती है और कुम्ता-सिद्धापुर राज्य राजमार्ग को पार करने के बाद अघनाशिनी नदी तक पहुँचती है। फिर रेखा अघनाशिनी नदी को पार करती है और कल्वे और होलवल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा से मिलती है। फिर यह वन सी की सामान्य सीमा के साथ चलता है। कल्वे और वन सर्वे की संख्या 28ए1 संख्या 15 होलवल्ली ग्राम जब तक यह एक सड़क तक नहीं पहुँचता है और सड़क के साथ-साथ पूर्व की ओर तब तक चलता है जब तक कि यह चिम्मोली ग्राम की सीमा तक नहीं पहुँच जाता। फिर यह दक्षिण पूर्व की ओर चिम्मोली ग्राम और कल्वे ग्राम की सामान्य सीमा के साथ मुदगी ग्राम की सीमा तक पहुँचती है। फिर यह मुदगी ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ चलती है जब तक कि यह चिम्मोली, मुदगी और बंगाने ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से नहीं मिलती। फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा में चिम्मोली ग्राम के वन सर्वे संख्या 42 की पूर्व सीमा के साथ चलती है और चिम्मोली, हेब्रे और बुगाडी ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है।


उपाबंध -IIक

शेरावती घाटी लायन टैल्ड मकाक अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का मानचित्र




शेरावती घाटी लायन टैल्ड मकाक अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का उपग्रह मानचित्र

Satellite Map of Eco-sensitive Zone of Sharavathi Lion Tailed Macaque Sanctuary



उपाबंध - IIग

शेरावती घाटी लायन टैल्ड मकाक अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



अनुबंध- III

सारणी क: शेरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	स्थानों के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	कनूर किला	उ 14° 10' 27"	पू 74° 39' 22"
2	एडगर प्रपात	उ 14° 9' 29"	पू 74° 43' 5"
3	चतुर्मुखा जैन बासादी	उ 14° 13' 44"	पू 74° 39' 53"
4	एलटीएम इको पार्क गेरसोप्पा	उ 14° 14' 54"	पू 74° 39' 50"
5	बंगारा कुसुमा प्रपात	उ 14° 16' 41"	पू 74° 41' 43"
6	शेरावती घाटी ब्यू पॉइंट	उ 14° 16' 35"	पू 74° 42' 43"
7	मुक्ति छिद्र प्रपात	उ 14° 19' 22"	पू 74° 38' 2"
8	कारिकाना परमेश्वरी गुड्डा	उ 14° 21' 9"	पू 74° 30' 23"
9	हॉसगॉड फॉल्स	उ 14° 21' 52"	पू 74° 36' 57"
10	डब्बे प्रपात	उ 14° 08' 52.1"	पू 74° 44' 40.6"
11	जैन बासादी विदारुरु	उ 14° 09' 53.7"	पू 74° 48' 21.2"
12	कलाईकम्बा मंदिर हुकलू	उ 14° 09' 43.6"	पू 74° 47' 39.3"
13	लिंगनमक्की जलाशय	उ 14° 10' 19.4"	पू 74° 50' 27.7"
14	मुप्पन नेचर शिविर	उ 14° 06' 36.6"	पू 74° 47' 22.3"
15	मुप्पन फेरी	उ 14° 06' 38.3"	पू 74° 48' 07.0"
16	हीरे भास्कर द्यम	उ 14° 05' 52.3"	पू 74° 53' 30.1"
17	होलबागिलुफेरी	उ 14° 04' 12.9"	पू 74° 53' 52.2"
18	श्री चौदेश्वरी मंदिर सिगंडुरु	उ 14° 04' 35.7"	पू 74° 52' 20.1"
19	भीमेश्वर मंदिर और जलप्रपात	उ 14° 03' 51.4"	पू 74° 43' 14.5"
20	बेलिगुंडी प्रपात	उ 13° 57' 51.2"	पू 74° 40' 55.4"
21	अंबरगुड्डा	उ 13° 55' 36.0"	पू 74° 47' 37.6"
22	चेनेकल प्रपात	उ 14° 03' 37.6"	पू 74° 41' 45.5"
23	नागवल्ली आईवी	उ 14° 05' 40.1"	पू 74° 40' 28.5"
24	शशिचौका वॉच टावर	उ 14° 02' 02.5"	पू 74° 40' 33.3"
25	हेडीगुड्डा	उ 14° 08' 21.1"	पू 74° 51' 24.5"
26	शेरावती साहसिक शिविर	उ 14° 11' 09.3"	पू 74° 47' 58.7"
27	नाइटगोड प्रपात	उ 14° 21' 45"	पू 74° 38' 58"
28	बुरादे प्रपात	उ 14° 23' 28"	पू 74° 44' 46"
29	अस्थायी एपीसी	उ 14° 16' 34"	पू 74° 44' 53"
30	वीरभद्रेश्वर मंदिर नीलकुंडा	उ 14° 27' 17.45"	पू 74° 41' 59.39"
31	ग्राम पंचायत नीलकुंडा	उ 14° 27' 17.74"	पू 74° 42' 01.05"
32	दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, देवीमने मंदिर नीलकुंडा	उ 14° 26' 48.18"	पू 74° 40' 54.07"
33	जामिया मस्जिद नीलकुंडा	उ 14° 27' 18.97"	पू 74° 42' 00.91"
34	विरुपाक्ष मंदिर चौके	उ 14° 24' 57.37"	पू 74° 44' 13.44"
35	उंचल्ली प्रपात (केप्पा जोग)	उ 14° 24' 37.49"	पू 74° 44' 52.52"
36	अस्थायी ए.पी.सी	उ 14° 20' 42"	पू 74° 39' 16"

37	ईश्वर मंदिर हल्लीबेल	उ14° 29' 50.63"	पू74° 40' 56.17"
38	ईश्वर मंदिर मराठीकोप्पा	उ14° 29' 47.67"	पू74° 40' 14.57"
39	ईश्वर मंदिर कालेगुडे	उ14° 27' 18.97"	पू74° 42' 00.91"
40	बेने प्रपात	उ14° 30' 14.96"	पू74° 37' 27.21"
41	वीरभद्रेश्वर मंदिर नीलकुंडा	उ14° 27' 7.45"	पू74° 41' 59.39"
42	ग्राम पंचायत नीलकुंडा	उ14° 27' 17.74"	पू74° 42' 01.05"
43	श्री वदनबेलु पद्मावती मंदिर	उ14° 12' 47.5"	पू74° 45' 59.9"
44	तालकालाले बांध	उ14° 11' 39.3"	पू74° 47' 01.2"

सारणी ख: शेरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	स्थानों के नाम	अक्षांश	देशांतर
क.	समशी हैगिंग ब्रिज	उ 14° 14' 16"	पू74° 36' 50"
ख.	तुमबोली गुड्डा	उ14° 15' 33"	पू74° 34' 3"
ग.	धोफ प्रपात	उ14° 19' 24"	पू74° 34' 18"
घ.	अघनाशिनी और बेनेहोल नदी संगम	उ 14° 26' 34"	पू74° 38' 30"
ङ.	अंबरगोडलू	उ14° 03' 41.9"	पू74° 57' 36.6"
च.	किरुवासे	उ14° 02' 08.6"	पू74° 52' 36.1"
छ.	बेलेन एसएफ	उ14° 09' 45.2"	पू74° 54' 14.0"
ज.	इडुवानी एसएफ	उ14° 10' 48.3"	पू74° 48' 33.5"
झ.	हुनुगालु	उ14° 00' 45.9"	पू74° 45' 06.2"
ञ.	वालागोरे	उ14° 02' 47.8"	पू74° 52' 18.0"
ट.	हुकलू	उ14° 09' 47.7"	पू74° 47' 54.3"
ठ.	बसरानी	उ14° 05' 46.5"	पू74° 58' 17.9"
ड.	देवासा	उ14° 07' 42.8"	पू74° 56' 17.6"
ढ.	बेलेन एसएफ	उ14° 11' 20.2"	पू74° 53' 02.6"
ण.	होनेमरडू	उ14° 10' 58.8"	पू74° 52' 36.1"
त.	केसाविनमाने	उ14° 08' 14.5"	पू74° 57' 15.9"
थ.	किप्पाडी द्वीप	उ14° 03' 24.0"	पू74° 56' 08.6"
द.	कट्टीनाकारु	उ13° 59' 43.6"	पू74° 41' 43.2"
ध.	कोडनवल्ली	उ13° 56' 14.2"	पू74° 46' 15.5"
न.	सह्याद्री नर्सरी मरादवल्ली	उ14° 07' 42.0"	पू74° 56' 37.2"
प.	मराठी	उ13° 56' 53.4"	पू74° 47' 53.4"
फ.	बिदारुरु	उ14° 10' 32.8"	पू74° 48' 18.6"
ब.	केप्पिगे	उ14° 01' 22.3"	पू74° 52' 24.8"
भ.	तलगुप्पा नाइटलेहलेथोटा रोड गुब्बागोडु	उ14° 08' 52.1"	पू74° 55' 13.3"
म.	तालाकले	उ14° 12' 22.0"	पू74° 44' 58.9"
य.	महिषासुरमर्दिनी मंदिर	उ14° 20' 26"	पू74° 38' 32"
क1	निरीक्षण बंगला	उ14° 23' 19"	पू74° 38' 55"
ख1	भीमना गुड्डा मूलगुंडा	उ14° 27' 45.57"	पू74° 4' 23.10"

उपाबंध - IV क

शेरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के तहत आने वाले ग्रामों की भू-निर्देशांक सहित सूची

क्र.स.	ग्राम	तालुक	जिला	क्षेत्रफल हा	अक्षांश	देशांतर
1	मुगुली	भटकल	उत्तर कन्नड़	43.90	13° 58' 10" उ	74° 38' 52" पू
2	नुज	भटकल	उत्तर कन्नड़	210.06	13° 57' 16" उ	74° 38' 5" पू
3	कगुंडी	भटकल	उत्तर कन्नड़	224.34	13° 57' 16" उ	74° 38' 5" पू
4	हलारी	भटकल	उत्तर कन्नड़	71.61	13° 58' 48" उ	74° 37' 47" पू
5	केक्कोड	भटकल	उत्तर कन्नड़	36.92	13° 57' 48" उ	74° 38' 0" पू
6	हेज्जला	भटकल	उत्तर कन्नड़	84.50	13° 58' 59" उ	74° 38' 14" पू
7	बेसे	भटकल	उत्तर कन्नड़	84.57	13° 59' 27" उ	74° 38' 12" पू
8	केरेहित्तला	भटकल	उत्तर कन्नड़	57.73	13° 59' 45" उ	74° 38' 20" पू
9	मशरी	भटकल	उत्तर कन्नड़	25	13° 59' 37" उ	74° 38' 22" पू
10	कुंतावनी	भटकल	उत्तर कन्नड़	159.46	14° 0' 42" उ	74° 38' 18" पू
11	अरवाक्की	भटकल	उत्तर कन्नड़	106.43	14° 0' 11" उ	74° 38' 15" पू
12	कुलवाडी	भटकल	उत्तर कन्नड़	62.80	14° 1' 12" उ	74° 38' 38" पू
13	ओनिबागिलु	भटकल	उत्तर कन्नड़	30.29	14° 1' 39" उ	74° 38' 40" पू
14	हदावली	भटकल	उत्तर कन्नड़	307.84	14° 2' 8" उ	74° 38' 23" पू
15	हलयानी	भटकल	उत्तर कन्नड़	519.96	14° 2' 45" उ	74° 37' 59" पू
16	हसरवल्ली	भटकल	उत्तर कन्नड़	404.63	14° 3' 52" उ	74° 38' 24" पू
17	हेंजाइल	भटकल	उत्तर कन्नड़	354.04	14° 5' 1" उ	74° 38' 22" पू
18	अगा	भटकल	उत्तर कन्नड़	212.70	14° 4' 8" उ	74° 37' 53" पू
19	बड़ाबाग	भटकल	उत्तर कन्नड़	352.23	14° 3' 38" उ	74° 37' 48" पू
20	मुरकोडी	भटकल	उत्तर कन्नड़	11.49	14° 2' 23" उ	74° 37' 49" पू
21	हुडिला	भटकल	उत्तर कन्नड़	636.32	14° 3' 43" उ	74° 36' 56" पू
22	कोप्पा	भटकल	उत्तर कन्नड़	4234.77	14° 7' 0" उ	74° 36' 47" पू
23	एडकेकुला	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	765.22	14° 9' 30" उ	74° 34' 0" पू
24	असिकेरी	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	512.93	14° 10' 30" उ	74° 35' 2" पू
25	मगोडा	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	1129.60	14° 11' 31" उ	74° 35' 58" पू
26	शिरकुर	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	510.47	14° 12' 28" उ	74° 37' 14" पू
27	कुदरीगे	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	6.50	14° 14' 2" उ	74° 37' 26" पू
28	माहिम	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	290.60	14° 14' 21" उ	74° 36' 47" पू
29	हेरांगडी	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	257.33	14° 14' 49" उ	74° 34' 19" पू
30	नगरबस्तिकेरी	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	522.29	14° 13' 55" उ	74° 38' 46" पू
31	सरलागी	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	185.51	14° 14' 48" उ	74° 37' 13" पू
32	थंबोली	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	782.93	14° 15' 50" उ	74° 33' 39" पू
33	गुंडाबाला	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	514.84	14° 18' 10" उ	74° 32' 48" पू
34	जंकडकल	होन्नावार	उत्तर कन्नड़	204.23	14° 19' 16" उ	74° 34' 4" पू

35	सल्कोड	होन्नावार	उत्तर कन्नड	804.19	14° 20' 32" उ	74° 32' 58" पू
36	नीलकोड	होन्नावार	उत्तर कन्नड	217.64	14° 21' 2" उ	74° 30' 26" पू
37	होडकेशिरूर	होन्नावार	उत्तर कन्नड	620.49	14° 21' 43" उ	74° 30' 50" पू
38	कदनीर	होन्नावार	उत्तर कन्नड	653.62	14° 22' 33" उ	74° 32' 23" पू
39	होंगेरी	कुमटा	उत्तर कन्नड	818.52	14° 22' 30" उ	74° 34' 11" पू
40	उलुरमाथा	कुमटा	उत्तर कन्नड	547.56	14° 22' 57" उ	74° 35' 30" पू
41	मूडनल्ली	कुमटा	उत्तर कन्नड	544.40	14° 24' 31" उ	74° 37' 2" पू
42	बसोली	कुमटा	उत्तर कन्नड	370.29	14° 24' 56" उ	74° 36' 2" पू
43	कल्वे	कुमटा	उत्तर कन्नड	39.67	14° 26' 0" उ,	74° 35' 53" पू
44	कीचड	कुमटा	उत्तर कन्नड	112.91	14° 26' 17" उ	74° 36' 39" पू
45	बैंगन	कुमटा	उत्तर कन्नड	528.39	14° 26' 31" उ	74° 38' 10" पू
46	चिम्मोली	कुमटा	उत्तर कन्नड	334.95	14° 27' 27" उ	74° 37' 13" पू
47	बुगदी	सिरसी	उत्तर कन्नड	324.14	14° 28' 51" उ	074° 37' 34" पू
48	हेब्रे	सिरसी	उत्तर कन्नड	2205.47	14° 30' 26" उ	074° 36' 58" पू
49	होसुर	सिरसी	उत्तर कन्नड	594.91	14° 30' 38" उ	074° 37' 56" पू
50	बांदल	सिरसी	उत्तर कन्नड	559.24	14° 31' 00" उ	074° 39' 35" पू
51	बदागी	सिरसी	उत्तर कन्नड	629.26	14° 30' 37" उ	074° 39' 41" पू
52	हल्लीबेल	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	329.74	14° 30' 06" उ	074° 40' 16" पू
53	कांचिकाई	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	541.02	14° 29' 41" उ	74° 42' 49" पू
54	मुलगुंडा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	862.01	14° 27' 42" उ	074° 42' 02" पू
55	नीलकुंडा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	625.76	14° 26' 53" उ	074° 42' 05" पू
56	हटगर	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	441.57	14° 25' 45" उ	74° 42' 2" पू
57	हंड्यामाथा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	357.97	14° 26' 15" उ	74° 42' 42" पू
58	हुकली	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	345.76	14° 25' 37" उ	074° 41' 25" पू
59	शिवालमने	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	527.65	14° 24' 29" उ	074° 42' 20" पू
60	टंडागुंडी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	22.30	उ 14° 26' 0"	पू 74° 42' 33"
61	हेग	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	347.69	उ 14° 25' 14"	पू 74° 43' 43"
62	उंचल्ली	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	305.15	14° 24' 36" उ	074° 44' 26" पू
63	हरिगर	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	374.44	14° 25' 04" उ	074° 46' 17" पू
64	होनेकोम्बु	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	49.30	उ 14.23' 22"	पू 74° 44' 57"
65	हैविनबीलू	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	112.12	उ 14° 24' 11"	पू 74° 45' 49"
66	सोविनकोप्पा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	71.41	उ 14° 23' 47"	पू 74° 46' 05"
67	ओजागरा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	33.68	उ 14° 23' 36"	पू 74° 46' 14"
68	हद्रिमाने	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	56.16	उ 14° 23' 28"	पू 74° 45' 35"
69	छप्परमाने	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	299.86	उ 14° 23' 16"	पू 74° 45' 45"
70	मवीनाकोड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	398.29	उ 14° 22' 30"	पू 74° 45' 03"
71	इलिमैन	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	187.63	उ 14° 22' 41"	पू 74° 44' 16"
72	गुब्बगोड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड	443.61	उ 14° 22' 00"	पू 74° 44' 19"

73	निगार	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	82.44	उ14°23'21"	पू74°43'37"
74	कलकई	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	318.26	उ14°22'48"	पू74°42'38"
75	कदावाडी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	210.85	उ14°22'28"	पू74°42'03"
76	गिजागुनी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	100.96	उ14°23'33"	पू74°40'33"
77	कल्लोली	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	36.94	उ14°22'41"	पू74°41'29"
78	डोडमैन	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	286.09	उ14°22'88"	पू74°41'41"
79	उप्पिनगड्डे	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	21.93	उ14°22'37"	पू74°41'13"
80	बिलगोड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	764.70	उ14°22'54"	पू74°40'04"
81	कॉन्सले	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	654.73	उ14°21'28"	पू74°40'45"
82	निर्गोद	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	8.72	उ 14° 20' 58"	पू 74° 38' 40"
83	कोडीगड्डे	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	134.55	उ14°19'46"	पू74°38'23"
84	कुडेगोड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	732.75	उ14°19'29"	पू74°39'55"
85	तालाकेरी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	329.59	उ14°19'01"	पू74°41'27"
86	धनाव	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	689.46	उ14°19'49"	पू74°41'56"
87	वजगोड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	285.11	उ14°18'51"	पू74°43'23"
88	केरेमेन	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	529.15	उ 14° 18' 32"	पू 74° 44' 47"
89	मसालामक्की	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	28.55	उ14°18'13"	पू74°43'39"
90	सुतलमने	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	309.02	उ14°17'35"	पू74°43'18"
91	हुक्कली	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	589.06	उ14°17'37"	पू74°44'58"
92	कुदुगुंड	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	215.76	उ14°16'56"	पू74°46'15"
93	हेमगारा	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	486.71	उ14°16'52"	पू74°47'08"
94	कुलिविदु	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	235.37	उ 14° 16' 21"	पू 74° 48' 46"
95	कोडकनी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	307.90	उ14°15'20"	पू74°47'31"
96	हेजानी	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	50.74	उ14°15'33"	पू74°46'08"
97	मालमेन	सिद्धपुरा	उत्तर कन्नड़	348.90	14° 28' 51" उ	074° 37' 34" पू
98	नदवदा तालाकले	सागर	शिमोगा	2386.02	उ14° 12' 2.0"	पू74° 44' 58.9"
99	अडागले	सागर	शिमोगा	560.40	उ13°56'57.7"	पू74° 49' 43.8"
100	अंबरगोडलू	सागर	शिमोगा	262.34	उ14° 03' 41.9"	पू74° 57' 36.6"
101	अरबल्ली	सागर	शिमोगा	337.45	उ14° 01' 47.2"	पू74° 52' 05.3"
102	अविनाहल्ली	सागर	शिमोगा	246.44	उ14° 04' 56.3"	पू74° 59' 33.4"
103	बालिगगेरे	सागर	शिमोगा	433.74	उ14°09' 36.7"	पू74° 53' 56.2"
104	बेलेने	सागर	शिमोगा	493.09	उ14°09'45.2"	पू74° 54' 14.0"
105	बिलिगल्लुरु	सागर	शिमोगा	525.46	उ14° 12' 00.1"	पू74° 48' 30.4"
106	बोबिगा	सागर	शिमोगा	476.55	उ14° 00' 35.3"	पू74° 45' 26.8"
107	ब्राह्मण हददुरु	सागर	शिमोगा	64.91	उ14° 00' 47.3"	पू74° 53' 55.9"
108	ब्राह्मण होसाहल्ली	सागर	शिमोगा	223.80	उ14° 02' 44.5"	पू74° 52' 01.9"
109	ब्राह्मण	सागर	शिमोगा	5.37	उ14° 03' 02.5"	पू74° 52' 29.7"

	कलासवल्ली					
110	ब्राह्मण केपिगे	सागर	शिमोगा	407.15	उ14° 01' 20.6"	पू74° 51' 56.4"
111	ब्राह्मण यलकलाले	सागर	शिमोगा	238.32	उ14° 11' 07.9"	पू74° 47' 57.9"
112	चिक्कमत्तुरु	सागर	शिमोगा	501.77	उ14° 05' 58.2"	पू74° 59' 16.8"
113	चादरावल्ली	सागर	शिमोगा	689.27	उ14° 01' 59.1"	पू74° 48' 30.5"
114	चिमाले	सागर	शिमोगा	73.40	उ14° 00' 24.1"	पू74° 52' 53.6"
115	देवासा	सागर	शिमोगा	153.62	उ14° 07' 42.8"	पू74° 56' 17.6"
116	हरावले	सागर	शिमोगा	382.03	उ14° 11' 11.7"	पू74° 50' 52.6"
117	हेबासी	सागर	शिमोगा	332.76	उ14° 02' 23.7"	पू74° 56' 33.5"
118	हेबेलु	सागर	शिमोगा	42.67	उ14° 11' 15.2"	पू74° 51' 02.3"
119	होसाकोटे	होसानगर	शिमोगा	201.28	उ14°00'57.8"	पू74°55'38.2"
120	हिरैमाने	सागर	शिमोगा	693.39	उ14° 12' 11.6"	पू74° 52' 57.0"
121	होनेमरडू	सागर	शिमोगा	443.58	उ14° 10' 58.8"	पू74° 52' 36.1"
122	होसल्ली	सागर	शिमोगा	61.21	उ14° 09' 51.9"	पू74° 54' 59.9"
123	हुलाकोडु	सागर	शिमोगा	282.01	उ14° 07' 43.2"	पू74° 57' 14.0"
124	हुनलमादारे	सागर	शिमोगा	66.11	उ14° 05' 18.6"	पू74° 59' 09.1"
125	हुनागालु	सागर	शिमोगा	513.84	उ14° 00' 45.9"	पू74° 45' 06.2"
126	इडुवानी	सागर	शिमोगा	12.47	उ14° 11' 33.5"	पू74° 50' 56.5"
127	कागरासु	सागर	शिमोगा	176.78	उ14° 03' 23.2"	पू74° 56' 09.6"
128	कलुरु	सागर	शिमोगा	1128.33	उ14° 04' 21.8"	पू74° 47' 47.6"
129	करणी	सागर	शिमोगा	1259.19	उ13° 56' 17.1"	पू74° 45' 23.3"
130	करुमने	सागर	शिमोगा	55.20	उ14° 10' 14.4"	पू74° 49' 34.5"
131	केसविनामाने	सागर	शिमोगा	25.84	उ14° 08' 10.8"	पू74° 57' 01.2"
132	कट्टीनाकारु	सागर	शिमोगा	2225.55	उ13° 59' 43.6"	पू74° 41' 43.2"
133	किरुवासी	सागर	शिमोगा	733.43	उ14° 02' 08.6"	पू74° 52' 36.1"
134	कुलकारु	सागर	शिमोगा	23.62	उ14° 10' 34.6"	पू74° 49' 13.3"
135	कुदारुरु	सागर	शिमोगा	129.94	उ14° 01' 10.6"	पू74° 48' 41.7"
136	लिंगनामक्की	सागर	शिमोगा	353.54	उ14° 10' 42.9"	पू74° 49' 54.2"
137	मलाले	सागर	शिमोगा	46.08	उ14° 09' 10.9"	पू74° 53' 45.4"
138	मरदवल्ली	सागर	शिमोगा	400.28	उ14° 07' 42.0"	पू74° 56' 37.2"
139	मराठी	सागर	शिमोगा	349.36	उ13° 56' 53.4"	पू74° 47' 53.4"
140	मार्थुरु	सागर	शिमोगा	82.69	उ14° 11' 28.4"	पू74° 54' 45.9"
141	मथिकोप्पा	सागर	शिमोगा	605.99	उ14° 04' 05.4"	पू74° 58' 32.1"
142	नादमल्ला	सागर	शिमोगा	17.43	उ14° 07' 37.5"	पू74° 56' 24.3"
143	नदवदा बिदारुरु	सागर	शिमोगा	124.05	उ14° 09' 47.7"	पू74° 47' 54.3"
144	नदवदा इलकलाले	सागर	शिमोगा	382.06	उ14° 10' 43.7"	पू74° 47' 16.8"
145	नदवादा केपिगे	सागर	शिमोगा	256.06	उ14° 01' 22.3"	पू74° 52' 24.8"

146	नदवदल्ली	सागर	शिमोगा	377.79	उ14° 06' 25.7"	पू74° 58' 31.5"
147	नितलाहलेथोटा	सागर	शिमोगा	397.26	उ14° 08' 52.1"	पू74° 55' 13.3"
148	किप्पाडी	सागर	शिमोगा	460.26	उ14° 03' 24.0"	पू74° 56' 08.6"
149	थलगुप्पा	सागर	शिमोगा	202.36	उ14° 12' 20.1"	पू74° 54' 06.7"
150	थुम्बरी	सागर	शिमोगा	259.50	उ14° 02' 04.5"	पू74° 51' 09.6"
151	वेंकटवल्ली	सागर	शिमोगा	226.73	उ14° 07' 40.6"	पू74° 58' 06.8"
152	चेन्नागोंडा	सागर	शिमोगा	3306.11	उ14° 01' 02.0"	पू74° 46' 09.7"
153	वैलेगेरे	सागर	शिमोगा	1217.25	उ14° 02' 47.8"	पू74° 52' 18.0"
154	कोडनवल्ली	सागर	शिमोगा	1339.51	उ13° 56' 14.2"	पू74° 46' 15.5"
कुल	154 ग्राम	7 तालुक	2 जिला	67915.98		

शेरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्रफल का विवरण

क्र.सं.	प्रमंडल	ग्रामों की संख्या	कुल क्षेत्र (हे)	वन क्षेत्र (हे)	गैर वन क्षेत्र
1	शिवमोग्गा वन्यजीव	57	27272.64	5709.51	21563.13
2	होन्नावार	46	21838.98	19506.7	2332.28
3	सिरसी	51	18804.36	16483.64	2320.71
	कुल	154	67915.98	41699.85	26216.12

उपाबंध- IV ख

शेरावती घाटी लायन टेल्ड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र ग्रामों की सूची

क्र.सं.	संलग्नक का नाम	ग्रामों के नाम	सर्वे संख्या	विस्तार	
				एकड़	गुंटा
1	संलग्नक -1	गुडीहिट्लू	7	30	0
2	संलग्नक- 2		17	25	0
3	संलग्नक -3		9	50	0
4	संलग्नक-4		23,33	70	0
5	संलग्नक -5		43,37	50	0
6	संलग्नक -6	बालिगा	54,35	110	0
7	संलग्नक -7		60,4,35,54	100	0
8	संलग्नक -8		61	25	0
9	संलग्नक -9		4	0	0
10	संलग्नक -9क		68	0	0
11	संलग्नक -10	नेल्लारी	5,11,10	410	0
12	संलग्नक -11	नागवल्ली	60,89,42	1140	0
13	संलग्नक -12		18	300	0
14			21	300	0

15	संलग्नक -13	उरलगल्लू	41	100	0	
16	संलग्नक -14		41	100	0	
17	संलग्नक -15	उरलगल्लू	21	40	0	
18			16	160	0	
19	संलग्नक -16		1	60	0	
20	संलग्नक -17		1	20	0	
21			30	40	0	
22	संलग्नक -18		1	100	0	
23	संलग्नक-19		कनुरु	41	20	0
24	संलग्नक-19क			41	0	0
25	संलग्नक-20	41		15	0	
26	संलग्नक-21	50		6	0	
27	संलग्नक-22	50		25	0	
28	संलग्नक-23	50		35	0	
29	संलग्नक-24	अपशिष्ट		104	0	
30	संलग्नक-25	12,31,03,111		887	14	
31	संलग्नक-26	कनपगारू	4,60,19	750	0	
32	संलग्नक-26क		76	0	0	
33	संलग्नक-27		341,30,126	280	0	
34	संलग्नक-28		66	90	0	
35	संलग्नक-29		80	15	0	
36	संलग्नक-30		125	120	0	
37	संलग्नक-31		68	100	0	
38	संलग्नक-32		भानुकुली	36,5	120	0
39	संलग्नक-33	28,19		40	0	
40	संलग्नक-34	19		0	0	
41	संलग्नक-35	19		25	0	
42	संलग्नक-36	57		250	0	
43	संलग्नक-37	5		50	0	
44	संलग्नक-38	3,56,52		60	0	
45	संलग्नक-39	23,25		90	0	
46	संलग्नक-40	हुनागालु	116,117,118,119	90	0	
		चन्नागोंडा	184			
47	संलग्नक-41	चन्नागोंडा	148,149,150,151,152	62	0	
		कुल		6464	14	

उपाबंध -IVग

शेरावती घाटी लायन टेलड मकाक (एलटीएम) अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आरक्षित/अधिसूचित वनों का विवरण

क्र.सं.	प्रमंडल	वन/ग्राम का नाम	अधिसूचना संख्या और दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कानूनी स्थिति
1	सागर	बेलन एसएफ	आर.5845 एफटी.33-12-7/दिनांक12.04.1913	735.74	एसएफ
2	सागर	इडुवानी एसएफ (भाग)	आर.4224 एफटी.138-11-9/ दिनांक12.02.1913	333.38	एसएफ
3	सागर	तलाकाले एसएफ (भाग)	आईसी.4002-5 एफटी. 160-24-2/12.12.1924	494	एसएफ
			आईसी.4002-5 एफटी. 160-24-3/12.12.1924		
4	सागर	तलकलाले आरएफ (भाग)	एएचएफएफ 100 एफएफएफ 88, बैंगलोर दिनांक 08-12-1994	236.69	आरएफ
5	सागर	कारगल एसएफ (भाग)	जी.ओ.सं. आईसी. 596 एफटी. 23-21-3 दिनांक 30 जुलाई 1921	34.86	एसएफ
6	सागर	जोगा एस एफ (भाग)	सं. आर. 5111---एफटी 46-08-7, दिनांक 22 जनवरी 1909	534.04	एसएफ
7	सागर	वैलेगेरे आरएफ	सं.एएफजे 05 एफएफएफ 2008 दिनांक:16.09.2017	167.2	आरएफ
8	सागर	नदवदल्ली आरएफ	सं. एएचएफएफ 86 एफएफएफ 87.बैंगलोर, दिनांक:26.03.1988	47.75	आरएफ
9	सागर	सोपिना बेट्टा/खानू कराबू	जीओ:एफईई 185 एफएफएफ 2011 दिनांक:15.05.2014	2235.353	पीएफ
10	सागर	अरण्य और अभयारण्य के रूप में आरटीसी प्रवेश	आदेश सं. एनडी.32.एलएडी.62, दिनांक बैंगलोर 6 जुलाई 1965	890.498	पीएफ
11	होन्नावार	मुगुली	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	43.9	आरएफ
12	होन्नावार	नुज	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278-क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित	210.06	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
13	होन्नावार	कगुंडी	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278-क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित	224.34	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
14	होन्नावार	हलारी	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	71.61	आरएफ
15	होन्नावार	केक्कोड	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	36.92	आरएफ
16	होन्नावार	हेज्जला	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	84.5	आरएफ
17	होन्नावार	बेसे	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	84.57	आरएफ
18	होन्नावार	केरेहित्तला	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	57.73	आरएफ

19	होन्नावार	मशरी	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	25	आरएफ
20	होन्नावार	कुंतावनी	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	159.46	आरएफ
21	होन्नावार	अरवाङ्की	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	106.43	आरएफ
22	होन्नावार	कुलवाडी	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	62.8	आरएफ
23	होन्नावार	ओनिबागिलु	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	30.29	आरएफ
24	होन्नावार	हदावली	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	307.84	आरएफ
25	होन्नावार	हलयानी	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	519.96	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
26	होन्नावार	हसरवल्ली	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	404.63	आरएफ
27	होन्नावार	हेजाइल	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	354.04	आरएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
28	होन्नावार	अगा	3. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	212.7	आरएफ और पीएफ
			4. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
29	होन्नावार	बडाबाग	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	352.23	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
30	होन्नावार	मुरकोडी	31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित	11.49	आरएफ
31	होन्नावार	हुडिला	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	636.32	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-1898 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
32	होन्नावार	कोप्पा	1. 1-05-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/5278- क 04-05-1922 का बीजीजी भाग-1 के पृष्ठ 994 पर प्रकाशित .	4234.8	आरएफ और पीएफ
			2. 31-05-1898 का जी.एन.सं.3647-ए, 2-6-		

			1898 का बीजीजी भाग-I के पृष्ठ 469 से 473 पर प्रकाशित		
33	होन्नावार	एडकेकुला	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	765.22	आरएफ
34	होन्नावार	असिकेरी	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	512.93	आरएफ
35	होन्नावार	मगोडा	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	1129.6	आरएफ
36	होन्नावार	शिरकुर	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	510.47	आरएफ
37	होन्नावार	कुदरीगे	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	6.5	आरएफ
38	होन्नावार	माहिम	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	290.6	आरएफ
39	होन्नावार	हेरांगडी	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	257.33	आरएफ
40	होन्नावार	नगरबस्तिकेरी	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	522.29	आरएफ
41	होन्नावार	सरलागी	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	185.51	आरएफ
42	होन्नावार	थंबोली	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	782.93	आरएफ
43	होन्नावार	गुंडाबाला	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	514.84	आरएफ
44	होन्नावार	जंकडकल	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	204.23	आरएफ
45	होन्नावार	सल्कोड	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	804.19	आरएफ
46	होन्नावार	नीलकोड	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	217.64	आरएफ
47	होन्नावार	होडकेशिरूर	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	620.49	आरएफ
48	होन्नावार	कदनीर	जी.एन.सं.7309 बी दिनांक:04.10.1897 बीजीजी भाग-I 07-10-1897 पृष्ठ सं.1711 से 1715	653.62	आरएफ
49	होन्नावार	होंगेरी	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	818.52	आरएफ
50	होन्नावार	उलुरमाथा	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	547.56	आरएफ
51	होन्नावार	मूडनल्ली	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	544.4	आरएफ
52	होन्नावार	बसोली	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	370.29	आरएफ
53	होन्नावार	कल्वे	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	39.67	आरएफ
54	होन्नावार	कीचड	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	112.91	आरएफ
55	होन्नावार	बैंगन	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	528.39	आरएफ
56	होन्नावार	चिम्मोली	22.01.1894 का जी.एन.सं.567 25.01.1894 का बीजीजी, भाग I, पृष्ठ 53-56	334.95	आरएफ

57	सिरसी	बुगाडी	03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068	321.86	आरएफ
			एस35/9/10311 13-06-1927	2.29	आरएफ
58	सिरसी	हेत्रे	03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068	2103.1	आरएफ
59	सिरसी	होसुरु	03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068	558.98	आरएफ
			03-05-1899 का जी.एन.सं.3068 ग	4.43	पीएफ
			15-01-1923 का जी.एन.सं. एस-36/9/19168 ए	4.97	पीएफ
60	सिरसी	बांदल	03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068	430.94	आरएफ
			03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068 सी	25.57	पीएफ
			15-01-1923 का जी.एन.सं. एस-36/9/19168 ए	32.19	पीएफ
61	सिरसी	बदागी	30-01-1899 का जी.एन.सं. 739-बी	0.5	पीएफ
			03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068	450.45	आरएफ
			03-05-1899 का जी.एन.सं. 3068 सी	58.97	पीएफ
			2-1-1923 का जी.एन.सं. एस-36/9/17246 ए	49.01	पीएफ
62	सिरसी	हल्लीबेल	10-06-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	258.68	आरएफ
63	सिरसी	कांचिकाई	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	123.87	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	267.33	आरएफ
			20-03-1922 का जी.एन.सं. एस-36/9/716 ए	72.4	पीएफ
64	सिरसी	मूलागुंडा	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	34.01	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	740.25	आरएफ
			20-3-1922 का जी.एन.सं.एस-36/9/716 ए	13.19	पीएफ
65	सिरसी	नीलकुंडा	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	9.62	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	560.04	आरएफ
66	सिरसी	हंड्यामाथा	3-4-1902 का जी.एन.सं. 2192	30.27	पीएफ
			3-4-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	18.13	आरएफ
			19-07-1902 का जी.एन.सं. 4991	228.21	आरएफ
			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस - 36/9/8102 ए	19.38	पीएफ
67	सिरसी	हटगर	3-4-1902 का जी.एन.सं. 2192	29.49	पीएफ
			3-4-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	340.75	आरएफ
			जी.एन.सं.एस-36/9/8102 ए का	10.98	पीएफ
			23-12-1921.		
68	सिरसी	टंडागुंडी	10-06-1902 का जी.एन.सं 2192 बी	11.63	आरएफ
69	सिरसी	हुकली	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	7.42	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	264.9	आरएफ
			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस-36/9/8102 ए	2.62	पीएफ
70	सिरसी	शिवलमाने	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	115.4	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	307.78	आरएफ
			15-08-1906 का जी.एन.सं 7796	4.43	आरएफ
			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस-36/9/8102 ए	23.91	पीएफ
			जी.एन.ए. और एफ.डी.सं. एफएलडी 2655/147727-ई दिनांक 17-1-1955	1.59	
71	सिरसी	हेग	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	153.24	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	88.43	आरएफ
			15-8-1906 का जी.एन.सं. 7796	0.55	आरएफ
			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस - 36/9/8102 ए	36.83	पीएफ
72	सिरसी	उंचल्ली	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	104.03	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	79.33	आरएफ
			16-08-1906 का जी.एन.सं 7796	0.79	आरएफ

			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस-36/9/8102-ए	72.37	पीएफ
73	सिरसी	हरिगर	03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192	23.54	पीएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं. 2192 बी	226	आरएफ
			23-12-1921 का जी.एन.सं. एस 36/9/8252 ए	79.24	पीएफ
74	सिरसी	होनेकोम्बु	3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	23.69	पीएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	14.68	पीएफ
75	सिरसी	हैविनबिलु	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	80.62	आरएफ
			1.5.1922 का जीएनसं. एस 36/9/5236-ए का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 9921	25.01	पीएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605-632		
76	सिरसी	सोर्विकोप्पा	3-4-1902 का जीएनसं 2192 / बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605 से 632	11.24	आरएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564 से 602	48.58	पीएफ
			जीएनसं.एस-36/9//6902ए का 16.11.1921पृष्ठ 2992 भाग I बीजीजी 24.11.1921		पीएफ
77	सिरसी	ओजगर	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	1.518	आरएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	24.615	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6902ए 24.11.1921 बीजीजी भाग I पृष्ठ 2992		पीएफ
78	सिरसी	हद्रिमाने	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	24.574	आरएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	26.504	पीएफ
			17.12.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6902ए 24.11.1921 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2193 -2993		पीएफ
79	सिरसी	चपरमाने	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	112.48	आरएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	144.81	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस 36/9/6903ए 24.11.1921 बीजीजी भाग I पृष्ठ 2994-95		पीएफ
80	सिरसी	मर्विकोड	3-4-1902 का जीएनसं 2192 / बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 605 से 632	238.15	आरएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564 से 602	111.19	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6903ए 24.11.1921 बीजीजी भाग I पृष्ठ 2994-2995		पीएफ
81	सिरसी	इलिमैन	3.4.1902 का जीएनसं.2192/बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-II पृष्ठ 605-632	79.811	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	64.477	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.-एस 36/9/6903ए 24.11.1921 का बीजीजी भाग- I पृष्ठ 2994-2995		पीएफ

82	सिरसी	गुबगॉड	3.4.1902 का जीएनसं.2192/बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605-632	280.96	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-II पृष्ठ 564-602	30.965	पीएफ
			16-11-1921 का जीएनसं.एस-36/6897ए 24.11.1921 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2988	45.406	पीएफ
83	सिरसी	निगार	3.4.1902 का जीएनसं.2192/बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-II पृष्ठ 605-632	6.651	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	51.639	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6897/ए 24.11.1921 का बीबी भाग-I पृष्ठ 988		पीएफ
84	सिरसी	कलकई	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	128.44	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	62.89	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6897/ए 24.11.1921 का बीबी भाग-I पृष्ठ 2988	67.918	पीएफ
85	सिरसी	कदावाडी	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	56.794	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	49.898	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6897/ए 24.11.1921 का बीबी भाग-I पृष्ठ 2988	62.252	पीएफ
86	सिरसी	गिजगुनी	3.4.1902 का जीएनसं.2192बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग- पृष्ठ 605-632.	41.59	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 16.4.1902. का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	31.378	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस36/9/6897ए 24.11.1921 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2988		पीएफ
87	सिरसी	कल्लोली	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	5.959	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	26.022	पीएफ
			116.11.1921 का जीएनसं.एस36/9/6897ए 24.11.1921 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2988		पीएफ
88	सिरसी	डोडमैन	3.4.1902 का जीएनसं.2192बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605-632	112.36	आरएफ
			03-04-1902 का जी.एन.सं2192 पृष्ठ 564-602	120.77	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस36/9/6897ए 24.11.1921 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2988		पीएफ
89	सिरसी	उप्पिनगड्डे	3.4.1902 का जीएनसं.2192 बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605-632	17.382	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	2.752	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस36/9/6897ए 24.11.1921 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2988		पीएफ
90	सिरसी	बिलगोड	3.-4 -1902 का जीएनसं.2192बी 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 605-632	688.04	आरएफ
			15.8.1906 का जीएनसं.7796 16.8.1906 का		आरएफ

			बीजीजी भाग-I पृष्ठ 1098-1099		
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	9.238	पीएफ
			एस-3619/6897ए 17/12/1921	12.222	पीएफ
91	सिरसी	कौस्ले	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	406.3	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	79.605	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6895/ए 24.11.1921 का बीबी भाग-I पृष्ठ 2985-2986	99.808	पीएफ
92	सिरसी	निर्गोद	3.4.1902 का जीएनसं.2192/बी 17.4.1902 बीजीजी का भाग-I पृष्ठ 564-602	0	आरएफ
93	सिरसी	कोडीगड्डे	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	87.704	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	11.827	पीएफ
94	सिरसी	कुडेगोड	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	541.23	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	65.516	पीएफ
			22.12.1903 का जीएनसं.9057 बीजीजी भाग -I पृष्ठ 1582	78.754	पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6895/ए बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2985-2986		पीएफ
95	सिरसी	तलेकेरी	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	247.47	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 बीजीजी भाग-I का पृष्ठ 564-602	55.117	पीएफ
96	सिरसी	धनाव	3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 बीजीजी भाग-I का पृष्ठ 564-602	392.59	पीएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	178.29	आरएफ
97	सिरसी	वजगोड	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	120.22	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 बीजीजी भाग-I का पृष्ठ 564-602	126.45	पीएफ
			22-12-1903 का जीएनसं.9057 बीजीजी भाग I पृष्ठ 1582		पीएफ
			16.11.1921 का जीएनसं.एस-36/9/6896ए बीजीजी भाग I पृष्ठ 2980-2987		पीएफ
98	सिरसी	केरेमेन	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	210.76	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	224.22	पीएफ
			22.12.1903 का जीएनसं.9057 बीजीजी भाग I पृष्ठ 1582		पीएफ
			24.10.1921 का जीएनसं.एस-35/9/5993 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 2632-2633		पीएफ
99	सिरसी	मसालामक्की	3.4.1902 जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	13.223	पीएफ

			24.10.1921 का जीएनसं.एस-36/9/5993 बीजीजी भाग-I पृष्ठ 1098	8.418	पीएफ
100	सिरसी	सुतलमने	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	230.66	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	42.968	पीएफ
			24.10.1921 का जीएनसं.एस-35/9/5993/ए बीजीजी भाग-I पृष्ठ 24632-2633	13.173	पीएफ
101	सिरसी	हुकली	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	478.93	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192/ 3.4.1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 564-602	46.747	पीएफ
			28.11.1921 का जीएन सं. एस-35/9/5993, बीजीजी भाग-I का पृष्ठ 2632-2633	16.734	पीएफ
102	सिरसी	कुदुगुंदा	15.8.1906 का जीएनसं.7796, 16.8.1906 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 1098-1099	39.282	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192, 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	129.25	पीएफ
			24.10.1921 का जीएनसं.एस-35/9/5993 बीजीजी भाग I का पृष्ठ 2632-2633		पीएफ
103	सिरसी	हेमगर	3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632	163.44	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	239.58	पीएफ
			24.10.1921 का जीएनसं.एस-35/9/5970ए बीजीजी भाग-I का पृष्ठ 2632-2633		पीएफ
			3-4-1902 का जीएनसं 2192बी 17-4-1902 का बीजीजी भाग -I पृष्ठ 605-632		आरएफ
104	सिरसी	कुलिबिडु	19.7.1902 का जीएनसं.4991 बीजीजी भागI का पृष्ठ 1210	125.33	आरएफ
			3.4.1902 का जीएनसं.2192, 17.4.1902 का बीजीजी भाग-I पृष्ठ 564-602	55.209	पीएफ
			24.10.1921 का जीएनसं.एस-35/9/5970/ए बीजीजी भाग I पृष्ठ 2632	19.425	पीएफ
105	सिरसी	मालमेन	03.04.1902 का जीएनसं.2192-बी, 17-04-1902 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 605-632	317.96	आरएफ
106	सिरसी	हेजानी	03-04-1902 का जीएनसं.2192, 17-04-1902 बीजीजी भाग I पृष्ठ 605-632,	27.136	आरएफ
			03-04-1902 का जीएनसं.2192 17-04-1902 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 605-632 24-10-1921 का जीएनसं. एस- 36/9/59-93, 27-10-1921 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 2632-2633	2.285	पीएफ
107	सिरसी	कोडकनी	03-04-1902 का जीएनसं.2192, 17-04-1902 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 562-602	5.495	पीएफ
			03-04-1902 का जीएनसं.2192, 17-04-1902 का बीजीजी भाग I पृष्ठ 605-632,	235.25	आरएफ
	कुल			41699.85	

उपाबंध- V

की गई कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट का प्रपत्र :- पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। [विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।]
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। [विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।]
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। [विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।]
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2023

S.O. 1197(E).—In supersession of Ministry's final notification S.O. 2797(E), dated 2nd August, 2019, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary is situated in Uttara Kannada and Shivamogga Districts of Karnataka State lies between the latitude 13° 54' 19" N to 14° 31' 10" N and longitude 74° 29' 50" E to 74° 58' 42" E. The Sanctuary was previously notified as Reserved Forests in 1897 as per Notification No. 7309-B of 04-10-1987 Pages 1711-1715 Part I BGG Of 7-10-1897. In the year 2019, after going through the due process of law, the State Government of Karnataka vide its Notification No. FEE 12 FWL 2019 Bengaluru Dated: 07.06.2019, notified an extent of 930.16 Km² area as Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary under the provisions of the sub-section 26-A (1) (b) of Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972) which supersedes the earlier notification declaring the part of the area as "Aghanashini Lion-Tailed Macaque Conservation Reserve" Vide Notification No. FEE 141 FWL 2011 dated 13.06.2011.

AND WHEREAS, the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary lies in the Western Ghats, mainly covered with climax tropical evergreen, semi-evergreen forests and grassy patches on hilltops, and is immensely rich in flora and fauna both in variety and diversity. These forests are extremely rich in arboreal fauna and avifauna due to their contiguity and availability of a verity of seasonal fruit-bearing tall lofty trees the most of conspicuous of the arboreal mammal present in the landscape is Lion-tailed Macaque (LTM). Terrain is highly

undulating with varied altitude. The area is marked by perennial nalas and a large number of small streams. The area is spread about 930.16 Km² out of which about 348.4 Km² area fall in Honnavar Division and 95.14 Km² area falls in Sirsi Division of Kanara Circle, Uttara Kannada and 486.73 Km² area fall in Shivamogga Wildlife Division and 55.5 Km² area of Sagara division of Shivamogga Circle.

AND WHEREAS, the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary has very rich flora and faunal diversity. The evergreen and semi-evergreen forests in the valleys are immensely rich in tree species like *Actinodaphne angustifolia*, *Actinodaphne malabarica*, *Aglaia elaeognoidea*, *Artocarpus hirsutus*, *Artocarpus lakoocha*, *Atlantia wightii*, *Calamus thwaitesii*, *Caryota urens*, *Cedrella toona*, *Cinnamomum malabathrum*, *Cryptocarya boudillonii*, *Dillenia pentagyna*, *Dimocarpus longana*, *Diospyros buxifolia*, *Diospyros candolleana* etc. and also home for endemic species like *Semicarpus kathalekanensis*. The Sanctuary harbours animals like Indian Gaur, Spotted deer, Leopard, Flying squirrel, Malabar Giant squirrel etc. The most conspicuous of the arboreal mammal present in the landscape is the Lion-tailed macaque (LTM). The recorded faunal diversity consists of 38 species of mammals, 164 species of birds, 43 species of reptiles, 26 species of amphibians, 17 species of freshwater fish and 77 species of butterflies;

AND WHEREAS, the vulnerable, rare, endangered and threatened animal species available in the sanctuary are Lion-tailed Macaque (*Macaca silenus*), Leopard (*Panthera pardus*), dhole (*Cuon alpinus*), pangolin (*Manis crassicaudata*), Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*), Brown Palm Civet (*Paradoxurus jerdoni*), Slender Loris (*Loris tardigradus*), Indian Crested Porcupine (*Hystrix indica*), Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*), Beddome's Toad (*Duttaphrynus beddomii*), Malabar Torrent Toad (*Ghatophryne ornate*), Sahyadri fejevarya (*Fejevarya sahyadris*), Mudduraja Cricket Frog (*Fejevarya mudduraja*), Mangalore Cricket Frog (*Fejevarya granosa*), Malabar Tree Toad (*Pedostibes tuberculosus*), Marbled Ramanella (*Ramanella marmorata*), Jog Night Frog (*Nyctibatrachus jog*) Humayun's Night Frog (*Nyctibatrachus humayuni*), Karnataka bubble nest Frog (*Raorchestes charius*), Pomudi Bush Frog (*Raorchestes pomudi*), small tree Frog (*Rhacophorus lateralis*), King Cobra (*Ophiophagus hannah*), Whitaker's Boa (*Eryx whitakeri*), Black Bellied Shield Tail (*Teretrurus sanguineus*), Woolly Necked Stork (*Ciconia episcopus*), Lesser Adjutant Stork (*Leptoptilos javanicus*), etc.,

AND WHEREAS, the vulnerable, rare, endangered and endemic plant species available in the sanctuary are *Syzygium travancoricum*, *Gymnacranthera canarica*, *Myristica fatua*, *Holigarna beddomei*, *H. grahamii*, *Hopea ponga*, *Hydnocarpus laurifolia*, *Knema attenuata*, *Litsea laevigata*, *Mallotus philippensis*, *Mappia foetida*, *Myristica malabarica*, *Saraca asoca*, *Rauvolfia serpentina*, etc;

AND WHEREAS, the forests of the Sanctuary is the catchments for important rivers like Sharavati and Aghanashini, apart from a number of streams by way of their favourable influence on soil and water conservation regimes ensuring water availability in Gersoppa Reservoir. The forests of the Sanctuary ameliorate the microclimate and exert a favourable influence on the soil and water conservation regimes of the adjacent habitations and agricultural lands;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1 Kilometer to 5.25 kilometre around the boundary of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary, in Uttara Kannada and Shivamogga District in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone: –

- 1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1 to 5.25 kilometres around the boundary of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 679.15 Km² which comprises 416.99 Km² of forest area and 262.16 Km² of non-forest area. The extent of the Eco-sensitive Zone in various directions is given below:-

Direction	Extent
North	1 -2.98 kilometre
North- East	1 -4. kilometre
East	1 -3.5 kilometre
South-East	1 -5.25 kilometre
South	1-2.6 kilometre
South-West	1 -4.66 kilometre
West	1-3.1 kilometre
North-West	1-2.6 kilometre

- 2) The boundary description of the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary and its Eco-sensitive zone is appended in Annexure-I.
 - 3) The Maps of the Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary demarcating Eco-sensitive zone provided in Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure IIIC.
 - 4) List of geo-coordinates of prominent locations of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary and Eco-sensitive zone are provided in Table A and B of Annexure III.
 - 5) The list of villages falling in the Eco-sensitive zone along with their coordinates at prominent points is appended in Annexure-IV.
 - 6) List of forest enclosure villages coming under an eco-sensitive zone of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary are appended in Annexure- V
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone:** (1). The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformaity to the provisions given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2). The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government if any.
 - (3). The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - i. Environment;
 - ii. Forest and Wildlife;
 - iii. Agriculture;
 - iv. Revenue;
 - v. Urban Development;
 - vi. Tourism;
 - vii. Rural Development;
 - viii. Irrigation and Flood Control;
 - ix. Municipal;
 - x. Panchayat Raj;
 - xi. Karnataka Pollution Control Board
 - xii. Public Works Department.
 - (4). The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in the improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5). The Zonal Master Plan shall provide for the restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil & moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6). The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticulture areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7). The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph IV and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities' livelihood.
- (8). The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9). The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- (10). Pending the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee constituted as per para 5 of this notification and for appropriate action as provided in sub-para (4) of para 6 of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government:- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use:** - (a). Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- i. widening and strengthening of existing roads and constructing of new roads;
- ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. small scale industries not causing pollution;
- iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestay; and
- v. promoted activities are given under paragraph IV:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this subparagraph.

- (b). Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies:-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism:** - (a). All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

- (b). The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

- (c). The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

- (d). The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of the carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

- (e). The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- i. All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - ii. Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage:-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites:-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and a heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution:-** Prevention and control of noise pollution in Eco-sensitive zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution:-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), and the rules made thereunder, and as amended from time to time.
- (8) **Discharge of effluents:-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under, and as amended from time to time or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes:-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, and as amended from time to time, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April 2016; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, and as amended from time to time, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management:-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste:-** The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

- (14) **Vehicular traffic:** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat-friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution:** - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units:** –
- On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes:-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- (4) **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone:-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the Rules made there including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto, Karnataka Forest Act 1963, Karnataka Forest Rules 1969 and Karnataka Preservation of Trees Act 1976 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of the earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	The setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new sawmills.	New or expansion of existing sawmills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts*	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism

		activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities*	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per the classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the Rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produces.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available. guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for the commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

21	Discharge of treated wastewater or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated wastewater or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycling and reuse of treated wastewater. Otherwise, the discharge of treated wastewater or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22	Commercial extraction of surface and groundwater.	Regulated as per the applicable laws.
23	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28	Open Well, Bore well, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29	Rainwater harvesting.	Shall be actively promoted.
30	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. shall be actively promoted.
34	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36	Restoration of degraded land or Forests or habitat.	Shall be actively promoted.
37	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**Subject to the outcome of directions of Hon'ble Supreme Court in W.P. 131377 of 2022 in W.P. 202 of 1995, T.N. Godavarman matter.*

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- The Central Government for effective monitoring of the activities in the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of, the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The Regional Commissioner, Belgaum Division	Chairman, 'ex-officio';
(ii)	The Regional Commissioner, Bengaluru Division	Member, 'ex-officio';
(iii)	A representative of the Department of Environment, Shimoga district and Uttara Kannada District, Government of Karnataka	Member, 'ex-officio';
(iv)	A representative of the Department of Urban Development, Shimoga district and Uttara Kannada District, Government of Karnataka	Member, 'ex-officio';
(v)	Representatives of Karnataka State Pollution Control Board /Karnataka State Electricity Board/Karnataka State Irrigation Department/Karnataka State Environment Department	Member, 'ex-officio';
(vi)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka	Non-official Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka	Non-official Member;
(viii)	Member of state Biodiversity Board	Member, 'ex-officio';
(ix)	The District Collector, Uttara Kannada	Member, 'ex-officio';
(x)	The District Collector, Shivamogga	Member, 'ex-officio';
(xi)	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Uttara Kannada	Member, 'ex-officio';
(xii)	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Shivamogga	Member, 'ex-officio';

(xiii)	Deputy Conservator Of Forests, Honnavar Division	Member, 'ex-officio';
(xiv)	Deputy Conservator Of Forests, Sirsi Division	Member, 'ex-officio';
(xv)	Deputy Conservator Of Forests, Sagara Division	Member, 'ex-officio';
(xvi)	Deputy Conservator Of Forests, Shivamogga Wildlife Division	Member-Secretary, 'ex-officio'.

6. Terms of reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be till its reconstitution, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time every three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc.:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/138/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist-G

ANNEXURE-I

Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary in the State Karnataka

North	LTM Eco Sensitive Zone boundary starts from the trijunction point of Chimmolli, Hebre and Bugadi villages. Then it moves westwards along the village boundary of Hebre village until it reaches junction point at forest survey number of 190 and fs no 183 of Hebre village and then it moves northwards along the survey no deviding line of Forest survey no 183 and Fs no 190 (Hebre) till it reaches the Devimane village boundary at trijunction point of Hebre Fs no 190,183 and Devimane Fsno 23. Then it moves northwards along village boundary of Hebre till it reaches Sirsi-Kumata National Highway then moves eastwards along the road till it reaches the junction point of Hebre Fs no-111 & 68 then it fallows the forest survey no boundary of 68 and 55 of Hebre village until reaches junction point of Hebre Fs no 55, Hosuru F s no 9, 18, Teppar F s no 2, 25. Then boundary line moves eastwards along the village boundary of Hosuru till it reaches village boundary of Bandala village at Sirsi-Kumta NH. Then boundary line moves eastwards along the Sirsi-Kumta NH until it reaches Khurse village boundary. Then moves southwards along the boundary of Bandala Village till it reaches Badagi village boundary. Then moves eastwards along Badagi village boundary until reaches Hallibail village border.
North-East	Then boundary line moves southwest along Hallibail Village boundary till it reaches Kanchikai village boundary. Then boundary moves northwest along the Kanchikai village boundary till it reaches Mulgunda village. The boundary line moves southeast along Mulgunda Village boundary until it reaches Nilkunda village boundary. Then it moves southwards along Nilkunda village boundary till it reaches handyanamath Village border. Then it moves westwards along the north border of the Handyanamath Village till it reaches Shivalamane village border. Then it moves westwards along the north border of the Village till it reaches Hegge village border. Then it moves weswards along the Hegge village border till it reaches Unchalli village border. Then moves Southwest along the village border till it reaches Harigar village boundary. Then it fallows the northwest boundary of Harigar village till it touches Stream then it fallows westwards along the stream Untill it reaches Aghanashini River.
East	Starts at the junction of HonnekumbuF.sy.no:15,6 and Havinabeelu F.sy.no:82 follows the Aghanashini river aswell F.sy no:82s Northern boundary until it reaches GPS No:N14.4146702,EO74.7706814.Then it moves South direction and reaches S y.no:130 and follows the boundary line of F.sy.no:82 until it Reaches 82/B13 and then it moves towards South direction along 82/B13, 82/B10 reaches the Northern point of Sovinakoppa At GPS No:N14.4037527,EO74.7722429. It Starts At The At GPS No:N14.4037527, EO74.7722429 Moves South Direction Unti it Reaches Betta 182B Follows Eastern Boundary of Betta 182B along FSy 143 Until it Reaches FSy 119 And Follows western Boundary of Fsy 119 until it Reaches Ojagar And Then Follows Eassstern Boundary of Bsy 188 and 192b1 and then it Moves towards West along village Boundary Until It Reaches. It Follows The Eastern Boundary Of Ojagar Until It Reaches Betta Sy.No 188 of Sovinakoppa (Includes Whole Ojagar). It Starts at theTri-Junction Point Of Villages Sovinakoppa Tarakhand ,andChapparamane Follows South Along Village Boundary of Chapparamane until it Reaches Msy 52 and then it Moves western Direction All along PWD Road until it Reaches Village Boundary of Mavinakod At Sy No9B1. It starts at 9B1 And Follows the Southern and the Western Boundary of Mavinakod includes Whole Village until It Reaches Illimane at Sy9(River). It Starts from River at Sy.No9 Follows river and Village Boundary until it Reaches Gubbagod. It starts at the tri-junction point of Villages Begara, Kible, Kalakai at B.Sy 117/9 and Follows west Direction Until it Reaches the tri-junction point of Villages Dodmane, Kousle, Kible. It Starts at the tri-junction point of Villages Dodmane, Kousle, Kible Moves Towards South Direction Until It Reaches Kudegod. It Starts at the Tri Junction Points Of Villages Kounsley, Kible, Kudegodu towards down follows Eastern Boundary of Kudegodu Village until It Reaches Danmav Village. It Starts at the Tri Junction Points Of Villages Kudegodu, Kible, Danmav follows Northern Village Boundary of Danmav Village until It Reaches Vajagod. It Starts at the Tri Junction Points Of Villages Vajgod, Kelaginamane, Keremane then it Follows Northern Boundary then moves South Along Keremane Village boundary until It Reaches Hukkali. It Starts At the trijunction point of Villages Hukkali,Alavalli and Keremane Travels the Northern Village Boundary of village Hukkali until It Reaches The Tri Junction Pont Of Village Boundaries of Hukkali, Alavalli, And Kudugunda. It starts from tri-junction point of village boundaries of Hukkali, Alavalli and Kudugunda ,then it moves towards N/E direction Follows the Northern Village Boundary of Kudugunda until it reaches the village boundary of Hemagar. It starts from Tri-junction point of Villages Chandraghatagi, Kudugunda, and Hemagar Follows Northern and eastern village Boundary of Hemagar Until It Reaches Kulibeedu Village. It Starts At the Tri-Junction Point of Villages Hemagara, Kulibeedu, and Menasi follows the Village Boundary of Kulibeedu along SH 50 until It Reaches SH 206 At Kodkani Village.Towards West side it Follows SH 206 until it Reaches High Tension Current Line then It Moves S/W Direction along High Tension Current Line until it Reaches River Sharavathy. Then it runs along the Sharavathi river towards eastern direction to meet the common bandh of Nadavada Talakalale Sy No 118 & 151 . Then line runs along the stream towards east direction to meet Tri-junction point of 3 villages namely Kargal, Nadavada Talakalale and Biligalluru. Then line runs in a boundary of Biligalluru Sy No 97 towards various direction to

meet common point of Biligalluru and Brahmana Ilakalale villages. Then line runs along the southern boundary of Biligalluru Sy No 96 towards south-east and East direction to meet Tri-junction bandh of Biligalluru Sy No 63, 66 & 96 . Then line runs towards south-east direction passes through Biligalluru Sy No 63 & 29 reaches North-west bandh of Biligalluru Sy no 28 & 1 . Again the line runs along the Northern boundary of Biligalluru Sy No 24 to meet the Quadrant junction bandh of Biligalluru Sy No 24, 23, 31 & 29. Then line runs along the west boundary of Biligalluru Sy No 31 towards North direction to meet tri-junction bandh of Biligalluru Sy no 29, 30 & 31. Then line runs along the Northern boundary of Biligalluru Sy No 31 to meet Quadrant-junction bandh of Biligalluru Sy No 30 ,31 ,32 & 40 . Then line runs along the Northern boundary of Biligalluru Sy No 32 towards various directin to meet Tri-junction bandh of Biligalluru Sy no 32,33 & Linganamakki Sy No 1. Then the line runs in the north east direction along the common boundary of Biligallur and Linganamakki village to meet the left bank of Sharavathi river. Again the line runs across the Shravathi river to meet the right bank of Sharvathi river at sy no. 33 of Haravale village. Then the line runs along the common boundary of Haravale & Iduvani village to meet South-east bandh of Haravale Sy No 33. Then line passes through Iduvani Sy No 26 to meet South-east bandh of Iduvani Sy No 4. Then line runs along the common boundary of Haravale & Iduvani villages to meet common bandh of Haravale Sy no 67 & 53 of Haravale & Iduvani village. Then the line runs in eastern direction along the common boundary of Sy. No. 67 and 53 of Haravale village to meet the south west bandh of Sy no. 42 of Haravale village. Then the line runs along the south and east boundary of Sy. No. 42 of Haravale village to meet the tri-junction bandh of Sy. No. 43, 41, 66 of Haravale village. Again the line runs in north east direction along the common boundary of sy. No. 66 and 67 of Haravale village to meet the common bandh of Sy. No. 66 and 67 of Haravale village and Talavata village. Again the line runs in the south east direction along the common boundary of Haravale village and Talavata village to meet the common bandh of Talavata, Hiremane and Haravale village. Then line runs northern boundary of Hiremane Sy no.102 and reaches the common bandh of sy no.20 and 102 of Hiremane. Then line runs along the southern boundary of sy no.20 Hiremane Village and reaches the quadrant junction of sy no. 21, 102, 20 & 1 of Hiremane Village. Then line runs towards south direction in eastern boundary of sy no. 1 Hiremane Village and south boundary of sy no.1 of Hiremane Village it runs east direction and reaches the tri-junction bandh of sy no.216, 112 and 171 of Hiremane Village. Then line runs along north direction in a common boundary of sy no.1 and sy no.171 of Hiremane Village and reaches the quadrant junction of Sy no.213, 137, 1 and 171 Hiremane Village. Then line runs in Northern boundary of sy no.171 of Hiremane Village and reaches the common point of Talaguppa village and Hiremane village. Then line runs along the boundary of sy no.160 in a different direction and reaches the common bandh of sy no.160 and 155 of Talaguppa village. Then line runs along the boundary of sy no.155 in south west and south east direction and reaches the common bandh of sy no.155 and 149. Then line runs along northern boundary of sy no.149 of Talaguppa village in a east direction and reaches the quadrant bandh of sy no.136, 149, 150 and 171 of Talaguppa Village. Then line runs along the southern boundary of 136, 132 and 130 of Talaguppa village in east direction and reaches the tri-junction bandh of sy no.124, 130 and 123 of Talaguppa village. Then line runs along the eastern boundary of sy no. 124 in southern direction and reaches the common bandh of sy no.157, 122 of Marattur village and sy no.124 of Talaguppa village. Then line runs along the eastern boundary of sy no.157, 158 of Marattur in a south direction and reaches the tri-junction bandh of sy no.158, 123 and 124 Marattur village. Then line runs along eastern boundary of sy no.123 of Marattur village in a south direction and reaches the common bandh of Bellelne and Marattur villages. Then line runs along the eastern boundary of sy no. 45 Bellelne Village in a south direction and reaches the common boundary of Bellelne and Hosalli villages. Then line runs along the common boundary of Bellelne and Hosalli villages in a west and south direction and reaches the common bandh of Bellelne, Hosalli, Balegere villages. Then line runs along the common boundary of Baliggere & Hosalli villages towards South-east direction to meet Tri-junction bandh of Baliggere Sy No 4 & Hosalli Sy No 104 & 11. Then line runs along the Northern boundary of Hosalli Sy No 11 towards various direction to meet North-west bandh of Hosalli Sy no 143. Then line runs along the common boundary of Hosalli Sy No 143 & 145 to meet the North-east bandh of Hosalli Sy No 143. Then line runs along the Northern boundary of Hosalli Sy No 11 towards various direction to meet common bandh of Hosalli Sy No 22 & 11. Then line runs along the common boundary of Arehada & Hosalli villages towards South direction to meet Tri-junction point of Arehada , Hosalli & Nitlehaletota. Then line runs in a south east direction along the common boundary of Arehada and Nitlehaletota villages reaches the common point of Maradavalli, Arehada, Nitlehaletota and Sasaravalli villages then line runs along the common boundary of Maradavalli, Sasaravalli villages in a east direction and reaches the common tri-junction of Hulegaru, Sasaravalli, Maradavali villages. Then line runs in a south east direction along the common boundary of Hulegaru and Maradavalli villages and reaches the tri-junction of Kesuvinamane, Hulegaru and Maradavalli villages. Then line runs along the common boundary of Kesuvinamane and Hulegaru reaches the tri-junction of Hulkodu, Hulegaru and Kesuvinamane. Then line runs along the common boundary of Hulkodu and Hulegaru villages reaches tri-junction of Khandika, Hulkodu, Hulegaru villages. Then line runs along the common boundary of Khandika and Hulkodu reaches the tri-junction of Benkatavalli, Hulkodu and Khandika villages. Then line runs in southern direction along the common boundary of Hulkodu and Benkatavalli village reaches the tri-junction bandh of Hulkodu sy no. 48 and Benkatavalli sy no.56, 53. Then line runs along eastern boundary of sy no.56 Benkatavalli village in south east direction and reaches the tri-junction bandh of sy no.56, 64 and 53 Benkatavalli village. Then line runs along eastern boundary of sy no.64

	<p>Benkatavalli village in south direction and reaches tri-junction bandh of sy no.64, 25 and 67 Benkatavalli village. Then line runs along common boundary of sy no. 67 and 25 Benkatavalli village in a south west direction and reaches the tri-junction bandh of sy no. 75, 25 and 67 Benkatavalli village. Then line runs along the eastern boundary of sy no.75, 76, 77 & 78 in a various direction and reaches the tri-junction bandh of sy no.78, 67 and 80 Bankatavalli village. Then line runs along Northern and Eastern boundary of sy no.67 Benkatavalli village and reaches the common point of Nadavaddalli and Benkatavalli villages. Then line runs along the common boundary of Benkatavalli and Nadavaddalli villages reaches the common quadrant junction of Benkatavalli, Yadajigalemane, Nadavaddalli & Brahmana Beduru. Then line runs along the common boundary of Nadavaddalli and Brahmana Beduru in south direction and reaches the tri-junction bandh of Nadavaddalli, Brahmana Beduru and Chikkamattur villages then line runs along the common boundary of Chikkamattur and Brahmana Beduru villages in a south east direction and reaches the common bandh of Chikkamattur village sy no.103 & 102. Then line runs along the Eastern boundary of Chikkamattur village sy no. 103 in a south direction and reaches the common point of Chikkamattur and Hunalu Madike villages. Then line runs along the eastern boundary of Hunalumadike to meet common Tri-junction bandh of Hunalumadake, Avinahalli & Chikkamatturu villages. Then line runs along the common boundary of Chikkamatturu & Avinahalli villages towards East direction to meet Tri-junction bandh of Chikkamatturu, Avinahalli & Brahman Beduru villages. Then line runs along the Brahman Beduru, Avinahalli villages to meet common bandh of Avinahalli Sy No 135 & 31. Then line runs along the eastern boundary of Sy No 135 to meet South-east bandh of Avinahalli Sy No 157. Then line runs along the Northern boundary of Avinahalli Sy no 157, 156, 153, 152, 150, 148, 147 & 144 towrds West direction to meet common bandh of Avinahalli Sy No 144 & 143. Then line runs along the boundary of Avinahalli Sy No 143, then western boundary of 144, 145, 146, 147, 148 & 149 and again runs South boundary of Avinahalli Sy No 149, SETTELEMENT, Sy No 1, 2, 3, 6, 7 & 8 to meet common Tri-junction bandh of Avinahalli Sy No 8, 98 & 135. Then line runs along the Eastern and Southern boundary of Avinahalli Sy No 135 towards various direction to meet Tri-junction bandh of Avinahalli Sy no 123, 133 & 135. Then line runs along the Eastern boundary of Avinahalli Sy No 131 towards South direction to meet common bandh of Mattikoppa & Avinahalli villages. Then line runs along the common boundary of Mattikoppa & Avinahalli villages towards North-west direction to meet Quadrent junction bandh of Avinahalli Sy No 131 & Mattikoppa Sy No 5, 12 & 13. Then line runs along the eastern boundary of Mattikoppa sy no.13 in a South direction, then reaches the Southern boundary of Mattikoppa at right bank of stream. Then line runs along the common boundary of Mattikoppa and Besuru villages through stream in various directions and reaches the tri-junction of Mattikoppa, Ambaragodlu and Besuru villages.</p>
<p>South-east</p>	<p>Again line starts from tri-junction of Mattikoppa, Ambaragodlu and Besuru villages, the line runs along the common boundary of Ambaragodlu and Besuru villages in south direction and reaches the tri-junction of Kippadi, Besuru and Ambaragodlu villages. Then line runs along the common boundary of Kippadi and Besuru villages in South direction and reaches the tri-junction Bandh of Kippadi, Hebsi and Besuru. Then line runs along the common boundary of Hebsi & Kippadi villages to meet common bandh of Hebsi Sy No 62 & 71. Then line runs along the Eastern boundary of Hebsi Sy No 71 towards South direction to meet Quadrent junction bandh of Hebsi Sy No 3, 4, 71 & 62. Then line runs along the North-east boundary of Hebsi Sy No 4 & 6 to meet Tri-junction bandh of Hebsi Sy no 6, 9 & 56. Then line runs along the Eastern and Southern boundary of Hebsi Sy No 56 in various direction to meet Tri-junction bandh of Hebsi Sy No 41, 55 & 56. Then line runs along the South-east boundary of Hebsi Sy No 55, 43 & 45 towards South-west direction to meet common Tri-junction bandh of Hebsi Sy No 45, 41 & 48. Then line runs along the Eastern boundary of Hebsi Sy No 48 towards South-east direction to meet right bank of Sharavathi River. Then line across the Sharavathi River to meet common bandh of Hosanagar Tq Hosakote Sy No 144 & 145. Then line runs along the Eastern boundary of Hosakote Sy No 145 towards South direction to meet Tri-junction bandh of Hosakote Sy No 144, 145 & Kuradvani village. Then line runs along the common boundary of Kuradvani and Hosakote villages towards West direction to meet Tri-junction point of Hosakote, Kuradvani & Kiruvasi villages. Then line runs along the common boundary of Kiruvasi and Hosakote villages towards West direction through Stream to meet common bandh of Kiruvasi Sy no 433 & 434. Then line runs along the southern boundary of Kiruvasi sy no.433 & 89 in a South west direction and reaches the common point of Kiruvasi sy no.89, 71, 434 and Bramhana Haraduru sy no.19. Then line runs along the common boundary of Brahmana Haraduru and Kiruvasi sy no.71 and reaches the common point of Kiruvasi, Chimale, Nadavada Keppige & Bramhana Haraduru villages. Then line passes through Chimale Sy No 286, 285, 269 & 266 to meet the Tri-junction bandh of Chimale Sy No 247 & 166 and Brahman Keppige Sy No 112. Then line runs along the common boundary of Brahmana Keppige and Chimale villages reaches the tri-junction bandh of Brahmana Keppige, Kudaruru and Chimale villages. Then line runs along the common boundary of Kudaruru and Brahmana Keppige in North direction reaches the tri-junction of Tumari, Brahmana Keppige & Kudaruru villages. Then line runs along the common boundary of Tumari and Brahmana Keppige towards the North east direction reaches the tri-junction of Bramhana</p>


	<p>Keppige, Araballi and Tumari villages. Then line runs along the common boundary of Araballi and Tumari villages towards North west direction and reaches the common bandh of sy no.25 and 26 Tumari Village. Then line runs along the south east boundary of Tumari sy no.25 towards south west direction and reaches the tri-junction bandh of Tumari sy no.25, 24 and 114. Then line runs along the South east and South west boundary of Tumari sy no.114 and reaches the common bandh of sy no.114 and 116 of Tumari village. Then line runs along the South boundary of Tumari sy no. 116 and reaches the tri-junction of Tumari, Valagere and Kudaruru Villages. Then line runs along the common boundary of Valagere and Kudaruru reaches the tri-junction of Chadaravalli, Valagere and Kudaruru villages.</p>
<p>South</p>	<p>The line starts from tri-junction of Chadaravalli, Valagere and Kudaruru villages. The line runs along the common boundary of Kudaruru and Chadaravalli villages to meet the common bandh of Chadaravalli Sy No 131 and 137. Then line passes through Kudaruru Sy No 192 towards South-west direction to meet common bandh of Hunagalu Sy no 78 and 60. Then line runs along the Southern boundary of Hunagalu sy no. 78, 66 and 62 towards various directions and reaches the tri-junction bandh of Hunagalu sy no. 62, 70, 78. Then line runs along the boundary of sy no.78 towards North west in various directions and reaches the quadrant junction of Hunagalu sy no.51 and 78 Channagonda sy no.220 and 196. Then line runs along the common boundary of Channagonda and Hunagalu villages towards the South west direction reaches the tri-junction of Hunagalu, Channagonda and Bobbiga villages.</p> <p>Then line runs along the East boundary of Bobbiga Sy No 243 to meet common bandh of Bobbiga Sy No 246 and 243. Then line runs along the Southern boundary of Bobbiga Sy No 243 towards various direction to meet West bandh of Bobbiga Sy No 248 beside the stream. Then line runs through Stream towards North-west direction to meet common boundary of Bobbiga and Channagonda villages. Then line runs along the common boundary of Channagonda and Bobbiga towards South and East direction reaches the tri-junction of Channagonda, Kattinakar and Bobbiga villages. Then line runs along the common boundary of Kattinakar and Bobbiga villages towards South direction reaches the quadrant junction of Karani, Kodanavalli, Bobbiga and Kattinakar villages. Then line runs along the common boundary of Bobbiga and Kodanavalli towards East and various directions to meet common bandh of Bobbiga Sy No 165 and 169. Then line runs along the West boundary of Bobbiga Sy No 165 towards North direction to meet Tri-junction bandh of Bobbiga Sy No 160, 165 and 166. Then line runs along the North-west and northern boundary of Bobbiga Sy No 160 towards various direction to meet common boundary of Bobbiga and Kodanavalli villages. Then line runs along the common boundary of Kodanavalli and Bobbiga villages to meet the tri-junction point of Bobbiga, Kodanavalli and Kudaruru Villages. Then line runs along the common boundary of Kudaruru and Kodanavalli villages towards East and South direction and reaches the tri-junction of Adagalale, Kodanavalli and Kudaruru villages. Then line runs along the common boundary of Kodanavalli and Adagalale villages, towards South direction to meet the stream at North-west bandh of Adagalale Sy No 106. Then line passes through stream in Adagalale Sy No 106 towards South direction to meet common boundary of Adagalale and Marathi villages. Then line runs along the common boundary of Adagalale and Marathi villages towards South-east direction to meet common bandh of Adagalale Sy No 106 and 97. Then line runs along the west, north and eastern boundary of Adagalale Sy No 97 to meet Tri-junction bandh of Adagalale Sy No 124, 97 and 138. Then line runs along the North boundary of Adagalale sy no.161 towards North east and South east direction reaches the tri-junction bandh of Adagalale Sy no. 161, 42 & 44. Then line runs along the East boundary of Adagalale sy no. 44 towards South east direction reaches the common point of Adagalale sy no.44, 63, 43 and Shankanna Shanboga Village sy no.4. Then line runs along common boundary of Adagalale, Shankanna Shanbog towards south and various directions reaches the tri-junction of Adagalale, Shankanna Shanbog and Marathi villages. Then line runs along the common boundary of Marathi and Shankanna Shanbog villages towards South direction reaches Mukambika Wildlife Sanctuary. Then line runs along the common boundary of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque Sanctuary and Mukambika Wildlife Sanctuary reaches the Honnavara Division. Since Mukambika Wildlife Sanctuary is situated to the south of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque Sanctuary no separate Eco-sensitive zone is delimited. In Honnavara Division the ESZ boundary starts from the Southernmost point of Sharavathi valley LTM Sanctuary (13° 58' 5" N, 74° 39' 4" E) which runs southwards all along the Uttara Kannada District boundary till it reaches the junction point of Forest Sy. No. 24 and 28 of Nuz village. Then it runs westward along the southern boundary of Forest Sy. No. 24 of Nuz village then along its Western boundary till it reaches Forest Sy. No. 8 of Kaggundi village and then runs between Malki Sy. No. 1, 2, 5 and Forest Sy. No. 8 of Kaggundi village till it reaches junction point of Kaggundi village and Belandhuru village. Then the boundary runs towards the north all along the boundary between Kaggundi village and Belandhuru village till it reaches the tri-junction point of</p>

	<p>Kaggundi, Hallari and Belandhuru villages. Then the boundary line runs along the southern and western boundary of Hallari village till it reaches the tri-junction of Hallari, Hadlur and Bese villages. Then it bisects the Bese village and meets the common boundary of Belurmane and Kerehittala village and runs between Belurmane and Kerehittala villages till it reaches the tri-junction point of Belurmane and Kuntavani and Kerehittala villages.</p>
South-West	<p>From the tri-junction point of Belurmane and Kuntavani and Kerehittala villages the boundary line bisects the Kuntavani village and meets Hadvalli village boundary at 14° 1' 14" N, 74° 38' 4" E. Then the boundary line runs all along the common boundary of Hadvalli and Kuntavani villages along North-west direction till it reaches tri-junction of Marukeri, Hadvalli, and Kuntavni villages. Then it runs along the common boundary of Marukeri and Hadvalli villages till it reaches tri-junction point of Marukeri, Hadvalli, and Murkodi villages. Then it runs along the diving line of Marthodi and Hadvalli villages till it reaches Bhatkal-Siddapur State Highway. Then the boundary line moves all along the Bhatkal-Siddapur State Highway for till it reaches the Halyani village boundary at 14° 2' 28" N, 74° 37' 51" E. Then it runs northwards all along the Western boundary of Halyani village till it reaches Badabag village. Then it moves all along the southern boundary of Badabag village and then runs along the southern boundary of Hudil village till it reaches the south west corner of Forest Sy. No. 4 of Hudil village. Then it runs along the western border of Forest Sy. No. 4 of Hudil village till it reaches the southern border of Forest Sy. No. 54 of Hudil village. Then it runs along the west border of Forest Sy. No. 54 of Hudil village till it reaches Koppa village boundary. Then it runs along the common boundary of Forest Sy. No. 251 Koppa of and Forest Sy. No. 40 of Hudil villages. Then the boundary line runs along the common boundary Forest Sy. No. 251 and Forest Sy. No. 258 of Koppa village and reaches Malki Sy. No. 239 of Koppa village. Then the boundary line moves between the common boundary of Malki Sy. No. 239 and Forest Sy. No. 258 Koppa village till it reaches Uttarakoppa stream. Then the boundary line follows Uttarakoppa stream till it reaches the Southernmost point of Forest Sy. No. 566(Hakkal) of Koppa village. Then it runs along the western boundary of Forest Sy. No. 566(Hakkal) of Koppa village till it reaches the Forest Sy. No. 192 of Koppa Village. Then it runs along the southern and western boundary of Forest Sy. No. 192 of koppa Village till it meets junction point of Forest Sy. No. 192, 181 and 491 of Koppa village. Then it runs along the western and northern boundary of Forest Sy. No. 181 of Koppa village till it reaches the Westernmost corner of Forest Sy. No. 195 of Koppa village near a small stream. Then it runs along the North boundary of Forest Sy. No. 195 of Koppa village till it reaches the tri-junction point of Forest Sy. Nos. 195, 175 and 162 of Koppa village. Then it runs along the Western boundary of Forest Sy. No. 162 of Koppa village till it reaches the tri-junction point of Forest Sy. Nos.55, 162 and 75 of Koppa village. Then the line runs along the southern border of Forest Sy. Nos. 55 and 26 of Koppa village till the line meets Forest Sy. No. 25 of Koppa village.</p>
West	<p>Then the boundary line runs along the west border of Forest Sy. No. 26 of Koppa village and then along west border of Forest Sy. No. 27 of Koppa Village till it reaches thre southern boundary of Forest Sy. No. 9 of Sampolli village. Then it runs eastwards along the southern boundary of Sampolli village till it reaches Forest Sy. No. 27 of Adkekuli village. Then it bisects Forest Sy. No. 27 of Adkekuli village and meets quadra-junction point of Forest Sy. Nos. 27, 26 18 and malki Sy. No. 8 of Adkekuli village. Then it runs along the Western and Northern border of Forest Sy. No 18 of Adkekuli village till it reaches Ashikeri village. Then it run towards North east direction all along Ashikeri village boundary till it reaches Magoda Village boundary (Magoda Sy. No.83). Then it runs towards North west direction along Magod village boundary for 100 meters till it reaches the common boundary of Forest Sy. Nos. 79 and 82 of Magod village and then it runs along it till it meets quadra-junction point of Forest Sy. Nos. 79, 80, 82 and Malki Sy. No. 13 of Magod village. Then it runs towards South-east direction along the common boundary of Forest Sy. No. 80 and 21 of Magod village till it reaches Shirkur village at quadra-junction point of Forest Sy. Nos. 1, 21 80 of Magod village and 19 of Shirkur Village. Then it bisects Forest Sy. No. 18 and Malki Sy. No.6 of Shirkur village and meets the Southern boundary of Forest Sy. No. 19 of Shirkur village at 14° 12' 19" N, 74° 37' 3" E. Then it bisects Forest Sy. No. 19 of Shirkur village till it reaches the tri-junction point of Forest Sy. Nos. 19, 35 and Malki Sy. No. 27 of Shirkur village. Then it runs Northwards all along the Western boundary of Forest Sy. No. 35 of Shirkur village till it reaches Honnavar-Nagabastikeri road. Then it runs all along the Honnavar-Nagabastikeri road till it reaches Malki Sy. No. 293 of Nagarabastiker village. Then it runs along</p>

	<p>the East and northeast boundary of Malki Sy. No. 293 till it meets the stream. Then it runs along the stream northwards till it meets the Sharavathi river. Then it runs along the left bank of Sharavathi river till it reaches Kudrigi-Samshi Hanging bridge. Then it crosses the river along the Hanging bridge. Then it runs along the right bank of Sharavathi River till it meets Upponi village boundary. Then it runs along the Eastern Boundary of Upponi village till it reaches Mahime village boundary. Then it runs Westward along the common boundary of Upponi and Mahime villages till it reaches Herangadi Village. Then it runs towards Northeast along the common boundary of Herangadi and Mahime village till it reaches Honnavar-Shivamogga National Highway (NH-69). Then it runs along the Honnavar-Shivamogga National Highway (NH-69) till it reaches Adkar Village boundary. Then it runs along the common boundary of Adkar and Herangdi village till it reaches the tri-junction point of Adkar, Tumbolli and Herangadi villages. Then it runs along the common boundary of Herangadi and Thumbolli village till it reaches tri-junction point Forest Sy. No.5 of Thumbolli village and Forest Sy. Nos. 204 and 207 of Herangdi village. Then it moves towards northwest bisecting Forest Sy. No. 5 of Thumbolli village and meets the Southern boundary of Forest Sy. No.11 of Thumbolli village at 14° 15' 40" N, 74° 33' 40" E. Then it moves towards north bisecting Forest Sy. No. 11 of Thumbolli village and meets the tri-junction point of Thumbolli, Jalwalli and Heravali villages. Then it runs along the common boundary of Heravali and Thumbolli village till it reaches the Gundbala village boundary. Then it runs westward along the common boundary of Heravali and Gundabala village till it reaches tri-junction point of Heravali, Gundabala and Chikankoda villages. Then it runs towards North direction along the west border of Gundabala village till it reaches a stream (north west corner of Forest Sy. No. 142 of Gundabala village). Then it runs toward East direction along the stream till it reaches the North west corner of Malki Sy. No. 106 of Gundabala village. Then it runs along the Northern border of of Malki Sy. No. 106 of Gundabal village till it meets the Malki Sy. No. 130 of Gundabal village. Then it runs along Eastern border of Malki Sy. No. 130 Gundabal village and then along the west border of Malki Sy. No. 105 of Gundabala village till it reaches Forest Sy. No. 146 of Gundabala village. Then it runs along western border of Forest Sy. No. 146 of Gundabala village till it reaches Salkod village boundary. Then it runs towards north west all along west border of Forest Sy. No. 396 of Salkod village till it reaches junction point of Malki sy. No. 480 and Forest Sy. No. 332 of Salkod village. Then it meets Arengadi Tulsani Road after circumventing the eastern border of Malki sy. No. 480 of Salkod village. Then the line runs westward all along the Arengadi Tulsani Road till it reaches western border of Malki Sy. No. 335 of Salkod village. Then it bisects Forest Sy. No. 291A/A1 of Salkod village and reaches the common boundary of Malki Sy. Nos. 257 and Betta Sy. No. 256B of Salkod village. Then it runs Eastwards bisecting through Forest Sy. No. 256A of Salkod village and meet at the north west corner of Forest Sy. No. 256A of Salkod village. Then it runs westward and meet Neelkod village boundary at 14° 20' 13" N, 74° 29' 56" E. Then it runs towards North-west direction bisecting Neelkod village and then meets at tri-junction point of Kadle, Neelkod and Hodikeshiroor villages. From the tri-junction point of Hodikeshiroor, Kadle and Neelkod villages the line runs towards north west along the dividing boundary of Kadle and Hodikeshiroor villages till it reaches Arengadi-Chandavar road. Then it runs northward along Arengadi-Chandavar road till it reaches the road junction at Kanve Katri. Then it runs along Hodikeshiroor road till it reaches Kadneer village. Then it runs towards south-east direction along the common boundary of Hodikeshiroor and Kadneer village till it reaches the common Bandhs of Forest Sy. Nos. 12, 81, 82 of Kadneer village and Malki Sy. No. 49 of Hodikeshiroor village.</p>
North-west	<p>From the common Bandhs of Forest Sy. Nos. 12, 81, 82 of Kadneer village and Malki Sy. No. 49 of Hodikeshiroor village the boundary line runs towards north-east along common boundary of Forest Sy. No. 12 and 81 of Kadneer village till it reaches western most point of Forest Sy. No. 80</p>


of Kadneer Village. Then it runs towards north-east along common boundary of Forest Sy. No. 80 and 79 of Kadneer village till it reaches Hongeri village boundary. Then it runs along the Northern boundary of Hongeri village till it reaches the southernmost point of Abboli village. Then it bisects Forest Sy. No. 12 of Hongeri village and meets Ullurmatha village at $14^{\circ} 23' 4''$ N, $74^{\circ} 34' 59''$ E. Then it runs eastward all along Forest Sy. No. 6 of Ullurmatha village and reaches Forest Sy. No. 25 of Ullurmatha village till it reaches the tri-junction point of Abbolli, Angara and Ullurmatha villages. Then it runs towards north east along the common boundary of Angara and Ullurmatha villages till it reaches tri-junction point of Ullurmatha, Basolli and Angara villages. Then it bisects Basolli village and meets a stream and runs northwards along the stream and reaches Aghanashini River after crossing Kumta-Siddapur State highway. Then the line crosses the Aghanashini River and meets the common boundary of Kalve and Holvalli villages. Then it runs along the common boundary of Forest Sy. No. 28A1 of Kalve and Forest Sy. No. 15 Holvalli village till it reaches a road and runs eastward all along the road till it reaches Chimmolli village boundary. Then it runs towards south east along the common boundary of Chimmolli village and kalve village till it reaches Mudagi village boundary. Then it runs along the north boundary of Mudagi village till it meets the tri-junction point of Chimmolli, Mudgi and Bangane villages. Then it runs in the North west direction along east boundary of Forest Sy No. 42 of Chimmolli village and meets the tri-junction point of Chimmolli, Hebre and Bugadi villages.

Annexure-IIA




ANNEXURE-IIB

Satellite Map of Eco-sensitive Zone of Sharavathi Lion Tailed Macaque Sanctuary



ANNEXURE- IIC



ANNEXURE- III

Table A: Geo- Coordinates of Prominent Locations of Sharavathi Valley LTM Sanctuary

Sl. No.	Name of the location	Latitude	Longitude
1	Kanoor Fort	N 14° 10 ' 27"	E 74° 39 ' 22"
2	Adiger falls	N 14° 9 ' 29"	E 74° 43 ' 5"
3	Chaturmukha Jain Basadi	N 14° 13 ' 44"	E 74° 39 ' 53"
4	LTM Eco Park Gersoppa	N 14° 14 ' 54"	E 74° 39 ' 50"
5	Bangara Kusuma falls	N 14° 16 ' 41"	E 74° 41 ' 43"
6	Sharavathi Valley view point	N 14° 16 ' 35"	E 74° 42 ' 43"
7	Mukthi hole falls	N 14° 19 ' 22"	E 74° 38 ' 2"
8	Karikana Parameshwari Gudda	N 14° 21 ' 9"	E 74° 30 ' 23"
9	Hosgod Falls	N 14° 21 ' 52"	E 74° 36 ' 57"
10	Dabbe falls	N14° 08' 52.1"	E74° 44' 40.6"
11	Jain Basadi Bidaruru	N14° 09' 53.7"	E4° 48' 21.2"
12	Kalaikamba Temple Huklu	N14° 09' 43.6"	E74° 47' 39.3"
13	LinganamakkiReservior	N14° 10' 19.4"	E74° 50' 27.7"
14	Muppene Nature camp	N14° 06' 36.6"	E74° 47' 22.3"
15	Muppene Ferry	N14° 06' 38.3"	E74° 48' 07.0"
16	HirebhaskarDyam	N14° 05' 52.3"	E74° 53' 30.1"
17	Holebagiluferry	N14° 04' 12.9"	E74° 53' 52.2"
18	Sri Choudeshwari Temple Siganduru	N14° 04' 35.7"	E74° 52' 20.1"
19	Bhimeshwar Temple & Water falls	N14° 03' 51.4"	E74° 43' 14.5"
20	Belligundi Falls	N13° 57' 51.2"	E74° 40' 55.4"
21	Ambargudda	N13° 55' 36.0"	E74° 47' 37.6"
22	Chennekall Falls	N14° 03' 37.6"	E74° 41' 45.5"
23	Nagavalli IB	N14° 05' 40.1"	E74° 40' 28.5"
24	Sasichowka Watch Tower	N14° 02' 02.5"	E74° 40' 33.3"
25	Hedigudda	N14° 08' 21.1"	E74° 51' 24.5"
26	Sharavati adventure camp	N14° 11' 09.3"	E74° 47' 58.7"
27	Nitgod Falls	N14° 21' 45"	E74° 38' 58"
28	Burade Falls	N14° 23' 28"	E74° 44' 46"
29	Temporary APC	N14° 16' 34"	E74° 44' 53"
30	VeebhadeshwarTemple Nilkunda	N14° 27' 17.45"	E74° 41' 59.39"
31	Gram panchayat Nilkunda	N14° 27' 17.74"	E74° 42' 01.05"
32	Durga parmeshwari Temple, DevimaneTemple Nilkunda	N14° 26' 48.18"	E74° 40' 54.07"
33	Jamia Mosque Nilkunda	N14° 27' 18.97"	E74° 42' 00.91"
34	Virupaksha Temple chare	N14° 24' 57.37"	E74° 44' 13.44"
35	Unchalli Falls (Keppa jog)	N14° 24' 37.49"	E74° 44' 52.52"
36	Temporary APC	N14° 20' 42"	E74° 39' 16"
37	Ishwar Temple Hallibail	N14° 29' 50.63"	E74° 40' 56.17"
38	Ishwar Temple Marathikoppa	N14° 29' 47.67"	E74° 40' 14.57"
39	Ishwar Temple Kalegadde	N14° 27' 18.97"	E74° 42' 00.91"
40	Benne Falls	N14° 30' 14.96"	E74° 37' 27.21"
41	VeebhadeshwarTemple Nilkunda	N14° 27' 7.45"	E74° 41' 59.39"
42	Gram panchayat Nilkunda	N14° 27' 17.74"	E74° 42' 01.05"
43	Shri Vadanabailu Padmavati temple	N14° 12' 47.5"	E74° 45' 59.9"
44	Talakalale dam	N14° 11' 39.3"	E74° 47' 01.2"

Table B: Geo- Coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone of Sharavathi Valley LTM Sanctuary

Sl. No.	Name of the location	Latitude	Longitude
A	Samshi hanging bridge	N 14° 14 ' 16"	E74° 36 ' 50"
B	Tumbolli Gudda	N14° 15 ' 33"	E74° 34 ' 3"
C	Dhoof falls	N14° 19 ' 24"	E74° 34 ' 18"
D	Aghanashini and Bennehole river confluence	N 14° 26 ' 34"	E74° 38 ' 30"
E	Ambaragodlu	N14° 03 ' 41.9"	E74° 57 ' 36.6"
F	Kiruvase	N14° 02 ' 08.6"	E74° 52 ' 36.1"
G	Bellenne SF	N14° 09 ' 45.2"	E74° 54 ' 14.0"
H	Iduvani SF	N14° 10 ' 48.3"	E74° 48 ' 33.5"
I	Hunugalu	N14° 00 ' 45.9"	E74° 45 ' 06.2"
J	Valagere	N14° 02 ' 47.8"	E74° 52 ' 18.0"
K	Huklu	N14° 09 ' 47.7"	E74° 47 ' 54.3"
L	Basrani	N14° 05 ' 46.5"	E74° 58 ' 17.9"
M	Devasa	N14° 07 ' 42.8"	E74° 56 ' 17.6"
N	Bellenne SF	N14° 11 ' 20.2"	E74° 53 ' 02.6"
O	Honnemaradu	N14° 10 ' 58.8"	E74° 52 ' 36.1"
P	Kesavinmane	N14° 08 ' 14.5"	E74° 57 ' 15.9"
Q	Kippadi Island	N14° 03 ' 24.0"	E74° 56 ' 08.6"
R	Kattinakaru	N13° 59 ' 43.6"	E74° 41 ' 43.2"
S	Kodanavalli	N13° 56 ' 14.2"	E74° 46 ' 15.5"
T	Sahyadri NursaryMaradavalli	N14° 07 ' 42.0"	E74° 56 ' 37.2"
U	Marathi	N13° 56 ' 53.4"	E74° 47 ' 53.4"
V	Bidaruru	N14° 10 ' 32.8"	E74° 48 ' 18.6"
W	Keppige	N14° 01 ' 22.3"	E74° 52 ' 24.8"
X	Talaguppa nitlehalethota Road Gubbagodu	N14° 08 ' 52.1"	E74° 55 ' 13.3"
Y	Talakale	N14° 12 ' 22.0"	E74° 44 ' 58.9"
Z	Mahishasuramardini Temple	N14° 20 ' 26"	E74° 38 ' 32"
A1	Inspection Bungalow	N14° 23 ' 19"	E74° 38 ' 55"
B1	Bheemana Gudda Mulgunda	N14° 27 ' 45.57"	E74° 4 ' 23.10"

ANNEXURE- IV A

List of villages coming under Eco-Sensitive Zone of Sharavthi Valley LTM Sanctuary along with Geo-Coordinates

Sl. No	Village	Taluk	District	Area in Ha	Latitude	Longitude
1	Muguli	Bhatkal	Uttara Kannada	43.90	13° 58' 10" N	74° 38' 52" E
2	Nuz	Bhatkal	Uttara Kannada	210.06	13° 57' 16" N	74° 38' 5" E
3	Kaggundi	Bhatkal	Uttara Kannada	224.34	13° 57' 16" N	74° 38' 5" E
4	Hallari	Bhatkal	Uttara Kannada	71.61	13° 58' 48" N	74° 37' 47" E
5	Kekkod	Bhatkal	Uttara Kannada	36.92	13° 57' 48" N	74° 38' 0" E
6	Hejjala	Bhatkal	Uttara Kannada	84.50	13° 58' 59" N	74° 38' 14" E
7	Bese	Bhatkal	Uttara Kannada	84.57	13° 59' 27" N	74° 38' 12" E
8	Kerehittala	Bhatkal	Uttara Kannada	57.73	13° 59' 45" N	74° 38' 20" E
9	Mashari	Bhatkal	Uttara Kannada	25	13° 59' 37" N	74° 38' 22" E
10	Kuntavani	Bhatkal	Uttara Kannada	159.46	14° 0' 42" N	74° 38' 18" E
11	Arvaki	Bhatkal	Uttara Kannada	106.43	14° 0' 11" N	74° 38' 15" E
12	Kulwadi	Bhatkal	Uttara Kannada	62.80	14° 1' 12" N	74° 38' 38" E
13	Onibagilu	Bhatkal	Uttara Kannada	30.29	14° 1' 39" N	74° 38' 40" E
14	Hadavalli	Bhatkal	Uttara Kannada	307.84	14° 2' 8" N	74° 38' 23" E
15	Halyani	Bhatkal	Uttara Kannada	519.96	14° 2' 45" N	74° 37' 59" E
16	Hasarvalli	Bhatkal	Uttara Kannada	404.63	14° 3' 52" N	74° 38' 24" E
17	Henjile	Bhatkal	Uttara Kannada	354.04	14° 5' 1" N	74° 38' 22" E
18	Agga	Bhatkal	Uttara Kannada	212.70	14° 4' 8" N	74° 37' 53" E
19	Badabag	Bhatkal	Uttara Kannada	352.23	14° 3' 38" N	74° 37' 48" E
20	Murkodi	Bhatkal	Uttara Kannada	11.49	14° 2' 23" N	74° 37' 49" E
21	Hudila	Bhatkal	Uttara Kannada	636.32	14° 3' 43" N	74° 36' 56" E
22	Koppa	Bhatkal	Uttara Kannada	4234.77	14° 7' 0" N	74° 36' 47" E
23	Adkekula	Honnavar	Uttara Kannada	765.22	14° 9' 30" N	74° 34' 0" E
24	Asikeri	Honnavar	Uttara Kannada	512.93	14° 10' 30" N	74° 35' 2" E
25	Magoda	Honnavar	Uttara Kannada	1129.60	14° 11' 31" N	74° 35' 58" E
26	Shirkur	Honnavar	Uttara Kannada	510.47	14° 12' 28" N	74° 37' 14" E
27	Kudrige	Honnavar	Uttara Kannada	6.50	14° 14' 2" N	74° 37' 26" E
28	Mahime	Honnavar	Uttara Kannada	290.60	14° 14' 21" N	74° 36' 47" E
29	Herangdi	Honnavar	Uttara Kannada	257.33	14° 14' 49" N	74° 34' 19" E
30	Nagarbastikeri	Honnavar	Uttara Kannada	522.29	14° 13' 55" N	74° 38' 46" E
31	Saralagi	Honnavar	Uttara Kannada	185.51	14° 14' 48" N	74° 37' 13" E
32	Thumbolli	Honnavar	Uttara Kannada	782.93	14° 15' 50" N	74° 33' 39" E
33	Gundabala	Honnavar	Uttara Kannada	514.84	14° 18' 10" N	74° 32' 48" E
34	Jankadkal	Honnavar	Uttara Kannada	204.23	14° 19' 16" N	74° 34' 4" E
35	Salkod	Honnavar	Uttara Kannada	804.19	14° 20' 32" N	74° 32' 58" E
36	Neelkod	Honnavar	Uttara Kannada	217.64	14° 21' 2" N	74° 30' 26" E
37	Hodkeshiroor	Honnavar	Uttara Kannada	620.49	14° 21' 43" N	74° 30' 50" E
38	Kadneer	Honnavar	Uttara Kannada	653.62	14° 22' 33" N	74° 32' 23" E
39	Hongereri	Kumta	Uttara Kannada	818.52	14° 22' 30" N	74° 34' 11" E
40	Ullurmatha	kumta	Uttara Kannada	547.56	14° 22' 57" N	74° 35' 30" E
41	Moodnalli	Kumta	Uttara Kannada	544.40	14° 24' 31" N	74° 37' 2" E
42	Bassolli	Kumta	Uttara Kannada	370.29	14° 24' 56" N	74° 36' 2" E
43	Kalve	Kumta	Uttara Kannada	39.67	14° 26' 0" N,	74° 35' 53" E
44	Mudge	Kumta	Uttara Kannada	112.91	14° 26' 17" N	74° 36' 39" E
45	Bangane	Kumta	Uttara Kannada	528.39	14° 26' 31" N	74° 38' 10" E
46	Chimmolli	Kumta	Uttara Kannada	334.95	14° 27' 27" N	74° 37' 13" E
47	Bugdi	Sirsi	Uttara Kannada	324.14	14° 28' 51" N	074° 37' 34" E
48	Hebre	Sirsi	Uttara Kannada	2205.47	14° 30' 26" N	074° 36' 58" E
49	Hosur	Sirsi	Uttara Kannada	594.91	14° 30' 38" N	074° 37' 56" E
50	Bandal	Sirsi	Uttara Kannada	559.24	14° 31' 00" N	074° 39' 35" E
51	Badagi	Sirsi	Uttara Kannada	629.26	14° 30' 37" N	074° 39' 41" E
52	Hallibail	Siddapura	Uttara Kannada	329.74	14° 30' 06" N	074° 40' 16" E
53	Kanchikai	Siddapura	Uttara Kannada	541.02	14° 29' 41" N	74° 42' 49" E
54	Mulgunda	Siddapura	Uttara Kannada	862.01	14° 27' 42" N	074° 42' 02" E

55	Nilkunda	Siddapura	Uttara Kannada	625.76	14° 26' 53" N	074° 42' 05" E
56	Hutgar	Siddapura	Uttara Kannada	441.57	14° 25' 45" N	74° 42' 2" E
57	Handyanematha	Siddapura	Uttara Kannada	357.97	14° 26' 15" N	74° 42' 42" E
58	Hukli	Siddapura	Uttara Kannada	345.76	14° 25' 37" N	074° 41' 25" E
59	Shivalamane	Siddapura	Uttara Kannada	527.65	14° 24' 29" N	074° 42' 20" E
60	Tandagundi	Siddapura	Uttara Kannada	22.30	N 14° 26' 0"	E 74° 42' 33"
61	Hegge	Siddapura	Uttara Kannada	347.69	N14° 25' 14"	E 74° 43' 43"
62	Unchalli	Siddapura	Uttara Kannada	305.15	14° 24' 36" N	074° 44' 26" E
63	Harigar	Siddapura	Uttara Kannada	374.44	14° 25' 04"N	074° 46' 17" E
64	Honnekombu	Siddapur	Uttara Kannada	49.30	N14.23'22"	E74°44'57"
65	Havinbeelu	Siddapur	Uttara Kannada	112.12	N14°24'11"	E74°45'49"
66	Sovinakoppa	Siddapur	Uttara Kannada	71.41	N14°23'47"	E74°46'05"
67	Ojagara	Siddapur	Uttara Kannada	33.68	N14° 23' 36"	E 74° 46' 14"
68	Hadrimane	Siddapur	Uttara Kannada	56.16	N14°23'28"	E74°45'35"
69	Chapparamane	Siddapur	Uttara Kannada	299.86	N14°23'16"	E74°45'45"
70	Mavinakod	Siddapur	Uttara Kannada	398.29	N14°22'30"	E74°45'03"
71	Illimane	Siddapur	Uttara Kannada	187.63	N14°22'41"	E74°44'16"
72	Gubbagod	Siddapur	Uttara Kannada	443.61	N14°22'00"	E74°44'19"
73	Negar	Siddapur	Uttara Kannada	82.44	N14°23'21"	E74°43'37"
74	Kalkai	Siddapur	Uttara Kannada	318.26	N14°22'48"	E74°42'38"
75	Kadavadi	Siddapur	Uttara Kannada	210.85	N14°22'28"	E74°42'03"
76	Gijaguni	Siddapur	Uttara Kannada	100.96	N14°23'33"	E74°40'33"
77	Kallolli	Siddapur	Uttara Kannada	36.94	N14°22'41"	E74°41'29"
78	Dodmane	Siddapur	Uttara Kannada	286.09	N14°22'88"	E74°41'41"
79	Uppinagadde	Siddapur	Uttara Kannada	21.93	N14°22'37"	E74°41'13"
80	Bilegod	Siddapur	Uttara Kannada	764.70	N14°22'54"	E74°40'04"
81	Kounsle	Siddapur	Uttara Kannada	654.73	N14°21'28"	E74°40'45"
82	Nirgod	Siddapur	Uttara Kannada	8.72	N 14° 20' 58"	E 74° 38' 40"
83	Kodigadde	Siddapur	Uttara Kannada	134.55	N14°19'46"	E74°38'23"
84	Kudegod	Siddapur	Uttara Kannada	732.75	N14°19'29"	E74°39'55"
85	Talakeri	Siddapur	Uttara Kannada	329.59	N14°19'01"	E74°41'27"
86	Danmav	Siddapur	Uttara Kannada	689.46	N14°19'49"	E74°41'56"
87	Vajgod	Siddapur	Uttara Kannada	285.11	N14°18'51"	E74°43'23"
88	Keremane	Siddapur	Uttara Kannada	529.15	N 14° 18' 32"	E 74° 44' 47"
89	Masalemakki	Siddapur	Uttara Kannada	28.55	N14°18'13"	E74°43'39"
90	Suttalamane	Siddapur	Uttara Kannada	309.02	N14°17'35"	E74°43'18"
91	Hukkali	Siddapur	Uttara Kannada	589.06	N14°17'37"	E74°44'58"
92	Kudugund	Siddapur	Uttara Kannada	215.76	N14°16'56"	E74°46'15"
93	Hemgara	Siddapur	Uttara Kannada	486.71	N14°16'52"	E74°47'08"
94	Kulibeedu	Siddapur	Uttara Kannada	235.37	N 14° 16' 21"	E 74° 48' 46"
95	Kodkani	Siddapur	Uttara Kannada	307.90	N14°15'20"	E74°47'31"
96	Hejani	Siddapur	Uttara Kannada	50.74	N14°15'33"	E74°46'08"
97	Malemane	Siddapur	Uttara Kannada	348.90	14° 28' 51" N	074° 37' 34" E
98	Nadavada Talakalale	Sagar	Shimoga	2386.02	N14° 12' 2.0"	E74° 44' 58.9"
99	Adagalale	Sagar	Shimoga	560.40	N13°56'57.7"	E74° 49' 43.8"
100	Ambaragodlu	Sagar	Shimoga	262.34	N14° 03' 41.9"	E74° 57' 36.6"
101	Araballi	Sagar	Shimoga	337.45	N14° 01' 47.2"	E74° 52' 05.3"
102	Avinahalli	Sagar	Shimoga	246.44	N14° 04' 56.3"	E74° 59' 33.4"
103	Baliggere	Sagar	Shimoga	433.74	N14°09' 36.7"	E74° 53' 56.2"
104	Bellenne	Sagar	Shimoga	493.09	N14°09'45.2"	E74° 54' 14.0"
105	Biligalluru	Sagar	Shimoga	525.46	N14° 12' 00.1"	E74° 48' 30.4"

106	Bobbiga	Sagar	Shimoga	476.55	N14° 00' 35.3"	E74° 45' 26.8"
107	Brahmana Hadaduru	Sagar	Shimoga	64.91	N14° 00' 47.3"	E74° 53' 55.9"
108	Brahmana Hosahalli	Sagar	Shimoga	223.80	N14° 02' 44.5"	E74° 52' 01.9"
109	Brahmana Kalasavalli	Sagar	Shimoga	5.37	N14° 03' 02.5"	E74° 52' 29.7"
110	Brahmana Keppige	Sagar	Shimoga	407.15	N14° 01' 20.6"	E74° 51' 56.4"
111	Brahmana Yalakalale	Sagar	Shimoga	238.32	N14° 11' 07.9"	E74° 47' 57.9"
112	Chikkamatthuru	Sagar	Shimoga	501.77	N14° 05' 58.2"	E74° 59' 16.8"
113	Chadaravalli	Sagar	Shimoga	689.27	N14° 01' 59.1"	E74° 48' 30.5"
114	Chimale	Sagar	Shimoga	73.40	N14° 00' 24.1"	E74° 52' 53.6"
115	Devasa	Sagar	Shimoga	153.62	N14° 07' 42.8"	E74° 56' 17.6"
116	Haravale	Sagar	Shimoga	382.03	N14° 11' 11.7"	E74° 50' 52.6"
117	Hebasi	Sagar	Shimoga	332.76	N14° 02' 23.7"	E74° 56' 33.5"
118	Hebylu	Sagar	Shimoga	42.67	N14° 11' 15.2"	E74° 51' 02.3"
119	Hosakote	Hosanagar	Shimoga	201.28	N14°00'57.8"	E74°55'38.2"
120	Hiremane	Sagar	Shimoga	693.39	N14° 12' 11.6"	E74° 52' 57.0"
121	Honnemaradu	Sagar	Shimoga	443.58	N14° 10' 58.8"	E74° 52' 36.1"
122	Hosalli	Sagar	Shimoga	61.21	N14° 09' 51.9"	E74° 54' 59.9"
123	Hulakodu	Sagar	Shimoga	282.01	N14° 07' 43.2"	E74° 57' 14.0"
124	Hunalamadare	Sagar	Shimoga	66.11	N14° 05' 18.6"	E74° 59' 09.1"
125	Hunagaluru	Sagar	Shimoga	513.84	N14° 00' 45.9"	E74° 45' 06.2"
126	Iduvani	Sagar	Shimoga	12.47	N14° 11' 33.5"	E74° 50' 56.5"
127	Kagarasu	Sagar	Shimoga	176.78	N14° 03' 23.2"	E74° 56' 09.6"
128	Kaluru	Sagar	Shimoga	1128.33	N14° 04' 21.8"	E74° 47' 47.6"
129	Karani	Sagar	Shimoga	1259.19	N13° 56' 17.1"	E74° 45' 23.3"
130	Karumane	Sagar	Shimoga	55.20	N14° 10' 14.4"	E74° 49' 34.5"
131	Kesavinamane	Sagar	Shimoga	25.84	N14° 08' 10.8"	E74° 57' 01.2"
132	Kattinakaru	Sagar	Shimoga	2225.55	N13° 59' 43.6"	E74° 41' 43.2"
133	Kiruvasi	Sagar	Shimoga	733.43	N14° 02' 08.6"	E74° 52' 36.1"
134	Kulakaru	Sagar	Shimoga	23.62	N14° 10' 34.6"	E74° 49' 13.3"
135	Kudaruru	Sagar	Shimoga	129.94	N14° 01' 10.6"	E74° 48' 41.7"
136	Linganamakki	Sagar	Shimoga	353.54	N14° 10' 42.9"	E74° 49' 54.2"

137	Malale	Sagar	Shimoga	46.08	N14° 09' 10.9"	E74° 53' 45.4"
138	Maradavalli	Sagar	Shimoga	400.28	N14° 07' 42.0"	E74° 56' 37.2"
139	Marati	Sagar	Shimoga	349.36	N13° 56' 53.4"	E74° 47' 53.4"
140	Martthuru	Sagar	Shimoga	82.69	N14° 11' 28.4"	E74° 54' 45.9"
141	Matthikoppa	Sagar	Shimoga	605.99	N14° 04' 05.4"	E74° 58' 32.1"
142	Nadamalla	Sagar	Shimoga	17.43	N14° 07' 37.5"	E74° 56' 24.3"
143	NadavadaBidaruru	Sagar	Shimoga	124.05	N14° 09' 47.7"	E74° 47' 54.3"
144	Nadavadallakalale	Sagar	Shimoga	382.06	N14° 10' 43.7"	E74° 47' 16.8"
145	NadavadaKeppige	Sagar	Shimoga	256.06	N14° 01' 22.3"	E74° 52' 24.8"
146	Nadavaddalli	Sagar	Shimoga	377.79	N14° 06' 25.7"	E74° 58' 31.5"
147	Nitlahalethota	Sagar	Shimoga	397.26	N14° 08' 52.1"	E74° 55' 13.3"
148	Kippadi	Sagar	Shimoga	460.26	N14° 03' 24.0"	E74° 56' 08.6"
149	Thalaguppa	Sagar	Shimoga	202.36	N14° 12' 20.1"	E74° 54' 06.7"
150	Thumbri	Sagar	Shimoga	259.50	N14° 02' 04.5"	E74° 51' 09.6"
151	Venkatavalli	Sagar	Shimoga	226.73	N14° 07' 40.6"	E74° 58' 06.8"
152	Chennagonda	Sagar	Shimoga	3306.11	N14° 01' 02.0"	E74° 46' 09.7"
153	Valagere	Sagar	Shimoga	1217.25	N14° 02' 47.8"	E74° 52' 18.0"
154	Kodnavalli	Sagar	Shimoga	1339.51	N13° 56' 14.2"	E74° 46' 15.5"
Total	154 villages	7 Taluks	2 Districts	67915.98		

Area Statement of Eco-Sensitive Zone of Sharavthi Valley LTM Sanctuary

Sl. No.	Division	No of Villages	Total area (ha)	Forest area (ha)	Non Forest area
1	Shivamogga Wildlife	57	27272.64	5709.51	21563.13
2	Honnavar	46	21838.98	19506.7	2332.28
3	Sirsi	51	18804.36	16483.64	2320.71
	Total	154	67915.98	41699.85	26216.12

ANNEXURE- IV B

List of forest enclosure villages coming under Eco-sensitive zone of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary

No.	Name of the Enclosure	Name of the Village	Sy. No.	Extent	
				Acres	Gunta
1	Enclosure-1	Gudihitlu	7	30	0
2	Enclosure-2		17	25	0
3	Enclosure-3		9	50	0
4	Enclosure-4		23,33	70	0
5	Enclosure-5		43,37	50	0
6	Enclosure-6	Baliga	54,35	110	0
7	Enclosure-7		60,4,35,54	100	0
8	Enclosure-8		61	25	0
9	Enclosure-9		4	0	0
10	Enclosure-9A		68	0	0
11	Enclosure-10	Nellari	5,11,10	410	0
12	Enclosure-11	Nagavalli	60,89,42	1140	0
13			18	300	0
14	Enclosure-12		21	300	0
15	Enclosure-13	Uralagallu	41	100	0
16	Enclosure-14		41	100	0
17	Enclosure-15	Uralagallu	21	40	0
18			16	160	0
19	Enclosure-16		1	60	0
20	Enclosure-17		1	20	0
21			30	40	0
22	Enclosure-18		1	100	0
23	Enclosure-19	Kanuru	41	20	0
24	Enclosure-19A		41	0	0
25	Enclosure-20		41	15	0
26	Enclosure-21		50	6	0
27	Enclosure-22		50	25	0
28	Enclosure-23		50	35	0
29	Enclosure-24		Waste	104	0
30	Enclosure-25	Kanapagaru	12,31,03,111	887	14
31	Enclosure-26		4,60,19	750	0
32	Enclosure-26A		76	0	0
33	Enclosure-27		341,30,126	280	0
34	Enclosure-28		66	90	0
35	Enclosure-29		80	15	0
36	Enclosure-30		125	120	0
37	Enclosure-31		68	100	0
38	Enclosure-32		36,5	120	0
39	Enclosure-33		28,19	40	0
40	Enclosure-34		19	0	0

41	Enclosure-35	Bhanukuli	19	25	0
42	Enclosure-36		57	250	0
43	Enclosure-37		5	50	0
44	Enclosure-38		3,56,52	60	0
45	Enclosure-39		23,25	90	0
46	Enclosure-40	Hunagalu	116,117,118,119	90	0
		Channagonda	184		
47	Enclosure-41	Channagonda	148,149,150,151,152	62	0
		TOTAL		6464	14

ANNEXURE- IV C

Details of the reserve/notified forests within Eco-sensitive zone of Sharavathi Valley Lion Tailed Macaque (LTM) Sanctuary

Sl. No.	Division	Name Of The Forest/ Village	Notification No. & Date	Area In Ha	Legal Status
1	Sagar	Bellenne SF	R.5845 FT. 33-12-7/DT.12.04.1913	735.74	SF
2	Sagar	Iduvani SF (Part)	R.4224 FT. 138-11-9/ DT.12.02.1913	333.38	SF
3	Sagar	Talakalale SF (Part)	IC.4002-5 FT. 160-24-2/12.12.1924	494	SF
			IC.4002-5 FT. 160-24-3/12.12.1924		
4	Sagar	Talakalale RF (Part)	AHFF 100 FAF 88, BANGALORE DATED 08-12-1994	236.69	RF
5	Sagar	Kargal SF (Part)	G.O.NO. IC 596 FT. 23-21-3 DATED 30 TH JULY 1921	34.86	SF
6	Sagar	Joga SF (Part)	NO. R. 5111---FT 46-08-7, DATED 22 ND JANUARY 1909	534.04	SF
7	Sagar	Valagere RF	NO.AFJ 05 FAF 2008 DT:16.09.2017	167.2	RF
8	Sagar	Nadavaddalli RF	NO. AHFF 86 FAF 87.BANGALORE, DT:26.03.1988	47.75	RF
9	Sagar	Soppina betta/Khanu Karabu	GO:FEE 185 FAF 2011 Dt:15.05.2014	2235.353	PF
10	Sagar	RTC Entry as Aranya & Abhayaranya	Order No. ND.32.LAD.62, Dtd Bangalore The 6 th July 1965	890.498	PF
11	Honnavar	Muguli	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	43.9	RF
12	Honnavar	Nuz	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	210.06	RF and PF
			2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898,		

			PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
13	Honnavar	Kaggundi	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922. 2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	224.34	RF and PF
14	Honnavar	Hallari	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	71.61	RF
15	Honnavar	Kekkod	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	36.92	RF
16	Honnavar	Hejjala	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	84.5	RF
17	Honnavar	Bese	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	84.57	RF
18	Honnavar	Kerehittala	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	57.73	RF
19	Honnavar	Mashari	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	25	RF
20	Honnavar	Kuntavani	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	159.46	RF
21	Honnavar	Arvakki	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	106.43	RF
22	Honnavar	Kulwadi	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	62.8	RF
23	Honnavar	Onibagilu	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	30.29	RF
24	Honnavar	Hadavalli	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	307.84	RF
25	Honnavar	Halyani	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922. 2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	519.96	RF and PF
26	Honnavar	Hasarvalli	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO	404.63	RF

			473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
27	Honnavar	Henjile	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	354.04	RF
			2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
28	Honnavar	Agga	3. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	212.7	RF and PF
			4. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
29	Honnavar	Badabag	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	352.23	RF and PF
			2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
30	Honnavar	Murkodi	G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898	11.49	RF
31	Honnavar	Hudila	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	636.32	RF and PF
			2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
32	Honnavar	Koppa	1. G.N.NO.S-36/9/5278- A OF 1-05-1922 PUBLISHED AT PAGES 994 OF B.G.G. PART-I OF 04-05-1922.	4234.8	RF and PF
			2. G.N.NO.3647-A OF 31-05-1898, PUBLISHED AT PAGES 469 TO 473 OF B.G.G. PART-I OF 2-6-1898		
33	Honnavar	Adkekula	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	765.22	RF
34	Honnavar	Asikeri	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	512.93	RF
35	Honnavar	Magoda	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	1129.6	RF
36	Honnavar	Shirkur	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	510.47	RF

37	Honnavar	Kudrige	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	6.5	RF
38	Honnavar	Mahime	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	290.6	RF
39	Honnavar	Herangdi	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	257.33	RF
40	Honnavar	Nagarbastikeri	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	522.29	RF
41	Honnavar	Saralagi	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	185.51	RF
42	Honnavar	Thumbolli	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	782.93	RF
43	Honnavar	Gundabala	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	514.84	RF
44	Honnavar	Jankadkal	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	204.23	RF
45	Honnavar	Salkod	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	804.19	RF
46	Honnavar	Neelkod	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	217.64	RF
47	Honnavar	Hodkeshiroor	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	620.49	RF
48	Honnavar	Kadneer	G.N.NO.7309 B DT:04.10.1897 PAGE NO.1711 TO 1715 OF , BGG PART I 07-10-1897	653.62	RF
49	Honnavar	Hongeri	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	818.52	RF
50	Honnavar	Ullurmatha	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	547.56	RF
51	Honnavar	Moodnalli	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	544.4	RF
52	Honnavar	Bassolli	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	370.29	RF
53	Honnavar	Kalve	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	39.67	RF
54	Honnavar	Mudge	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	112.91	RF
55	Honnavar	Bangane	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES 53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894	528.39	RF
56	Honnavar	Chimmolli	G.N.NO.567 OF 22.01.1894 PAGES	334.95	RF

			53-56, PART I, BGG OF 25.01.1894		
57	Sirsi	Bugadi	G.N.NO. 3068 OF 03-05-1899	321.86	RF
			S35/9/10311 13-06-1927	2.29	RF
58	Sirsi	Hebre	G.N.NO. 3068 OF 03-05-1899	2103.1	RF
59	Sirsi	Hosuru	G.N.NO. 3068 OF 03-05-1899	558.98	RF
			G.N.NO. 3068 C OF 03-05-1899	4.43	PF
			G.N.NO. S-36/9/19168 A OF 15-01-1923	4.97	PF
60	Sirsi	Bandal	G.N.NO. 3068 OF 03-05-1899	430.94	RF
			G.N.NO. 3068 C OF 03-05-1899	25.57	PF
			G.N.NO. S-36/9/19168 A OF 15-01-1923	32.19	PF
61	Sirsi	Badagi	G.N.NO. 739-B OF 30-01-1899	0.5	PF
			G.N.NO. 3068 OF 03-05-1899	450.45	RF
			G.N.NO. 3068 C OF 03-05-1899	58.97	PF
			G.N.NO. S-36/9/17246 A OF 2-1-1923	49.01	PF
62	Sirsi	Hallibail	G.N.NO. 2192 B OF 10-06-1902	258.68	RF
63	Sirsi	Kanchikai	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	123.87	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	267.33	RF
			G.N.NO. S-36/9/716 A OF 20-03-1922	72.4	PF
64	Sirsi	Mulagunda	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	34.01	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	740.25	RF
			G.N.NO.S-36/9/716 A OF 20-3-1922	13.19	PF
65	Sirsi	Nilkunda	G.N.NO 2192 OF 03-04-1902	9.62	PF
			G.N.NO 2192 B OF 03-04-1902	560.04	RF
66	Sirsi	Handyanematha	G.N.NO. 2192 OF 3-4-1902	30.27	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 3-4-1902	18.13	RF
			G.N.NO. 4991 OF 19-07-1902	228.21	RF
			G.N.NO. S - 36/9/8102 A OF 23-12-1921	19.38	PF
67	Sirsi	Hutgar	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	29.49	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	340.75	RF
			G.N.NO.S-36/9/8102 A OF 23-12-1921.	10.98	PF
68	Sirsi	Tandagundi	G.N.NO 2192 B OF 10-06-1902	11.63	RF
69	Sirsi	Hukli	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	7.42	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	264.9	RF
			G.N.NO. S-36/9/8102 A OF 23-12-1921	2.62	PF
70	Sirsi	Shivalmane	G.N.NO 2192 OF 03-04-1902	115.4	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	307.78	RF
			G.N.NO 7796 OF 15-08-1906 OF 16-08-1906	4.43	RF
			G.N.NO. S-36/9/8102 A OF 23-12-1921	23.91	PF
			G.N.A. AND F.D.NO. FLD 2655/147727-E DATED 17-1-1955	1.59	

71	Sirsi	Hegge	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	153.24	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	88.43	RF
			G.N.NO. 7796 OF 15-8-1906	0.55	RF
			G.N.NO. S - 36/9/8102 A OF 23-12-1921	36.83	PF
72	Sirsi	Unchalli	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	104.03	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	79.33	RF
			G.N.NO 7796 OF 1906 OF 16-08-1906	0.79	RF
			G.N.NO. S-36/9/8102-A OF 23-12-1921	72.37	PF
73	Sirsi	Harigar	G.N.NO. 2192 OF 03-04-1902	23.54	PF
			G.N.NO. 2192 B OF 03-04-1902	226	RF
			G.N.NO. S 36/9/8252 A OF 23-12-1921	79.24	PF
74	Sirsi	Honnekombu	GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	23.69	PF
			GNNO 2192B OF 3-4-1902 PAGES 605-632 PART -I BGG OF 17-4-1902	14.68	PF
75	Sirsi	Havinbilu	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	80.62	RF
			GNNO.S 36/9/5236-A OF 1.5.1922 PAGES 9921 PAR-I BGG OF 4.5.1922	25.01	PF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902		
76	Sirsi	Sovinkoppa	GNNO 2192 / B OF 3-4-1902 PAGES 605 TO 632 PATRT/1 BGG OF 17-4-1902	11.24	RF
			GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	48.58	PF
			GNNO.S-36/9//6902A OF 16.11.1921 PAGES 2992 PART I BGG 24.11.1921		PF
77	Sirsi	Ojgar	GNNO 2192B OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	1.518	RF
			GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	24.615	PF
			GNNO.S-36/9/6902A OF 16.11.1921 PAGES 2992 PART I BGG 24.11.1921		PF
78	Sirsi	Hadrimane	GNNO 2192/B OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	24.574	RF
			GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES	26.504	PF

			564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902		
			GNNO.S-36/9/6902A OF 17.12.1921 PAGES 2193 -2993 PART-I BGG OF 24.11.1921		PF
79	Sirsi	Chapparmane	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	112.48	RF
			GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	144.81	PF
			GNNO.S 36/9/6903A OF 16.11.1921 PAGES 2994-95 PART I BGG 24.11.1921		PF
80	Sirsi	Mavinkod	GNNO 2192 / B OF 3-4-1902 PAGES 605 TO 632 PATRT/1 BGG OF 17-4-1902	238.15	RF
			GNNO 2192 OF 3-4-1902 PAGES 564 TO 602 PART -I BGG OF 17-4-1902	111.19	PF
			GNNO S-36/9/6903A OF 16.11.1921 PAGES OF 2994 -2995 PART-IBGG OF 24.11.1921		PF
81	Sirsi	Ilimane	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-IIBGG OF 17.4.1902	79.811	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-IBGG OF 17.4.1902	64.477	PF
			GNNO.-S 36/9/6903A OF 16.11.1921 PAGES 2994-2995 PART- I BGG OF 24.11.1921		PF
82	Sirsi	Gubgod	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-IBGG OF 17.4.1902	280.96	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-IIBGG OF 17.4.1902	30.965	PF
			GNNO.S-36/6897A OF 16-11-1921 PAGES 2988 PART-I-BGG OF 24.11.1921	45.406	PF
83	Sirsi	Negar	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-IIBGG OF 17.4.1902	6.651	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	51.639	PF
			GNNO.S-36/9/6897/A OF 16.11.1921PAGES 988 PART-IBB OF 24.11.1921		PF
84	Sirsi	Kalkai	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	128.44	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	62.89	PF
			GNNO.S-36/9/6897/A OF 16.11.1921PAGES 2988-PART-IBB OF 24.11.1921	67.918	PF
85	Sirsi	Kadavadi	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES	56.794	RF

			605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902 GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	49.898	PF
			GNNO.S-36/9/6897/A OF 16.11.1921 PAGES 2988-PART-IBB OF 24.11.1921	62.252	PF
86	Sirsi	Gijguni	GNNO.2192B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-BGG OF 17.4.1902.	41.59	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-BGG OF 16.4.1902.	31.378	PF
			GNNO.S36/9/6897A OF 16.11.1921 PAGES 2988 PART-IBGG OF 24.11.1921		PF
87	Sirsi	Kalloli	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	5.959	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	26.022	PF
			GNNO.S-36/9/6897/A OF 16.11.1921 PAGES 2988-PART-IBB OF 24.11.1921		PF
88	Sirsi	Dodmane	GNNO.2192B OF 3.4.1902. PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902.	112.36	RF
			G.N.NO2192 OF 03-04-1902 PAGES 564-602	120.77	PF
			GNNO.S36/9/6897A OF 16.11.1921 PAGES 2988 PART-IBGG OF 24.11.1921		PF
89	Sirsi	Uppinagadde	GNNO.2192 BOF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902.	17.382	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	2.752	PF
			GNNO.S36/9/6897A OF 16.11.1921 PAGES 2988 PART-IBGG OF 24.11.1921		PF
90	Sirsi	Bilegod	GNNO.2192B OF 3.-4 -1902. PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902.	688.04	RF
			GNNO.7796 OF 15.8.1906 PAGES 1098-1099 PART-I BGG OF 16.8.1906.		RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	9.238	PF
			S-3619/6897A 17/12/1921	12.222	PF
91	Sirsi	Kaunsley	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	406.3	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	79.605	PF
			GNNO.S-36/9/6895/A OF 16.11.1921 PAGES 2985-2986 PART- IBB OF 24.11.1921	99.808	PF
92	Sirsi	Nirgod	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	0	RF

93	Sirsi	Kodigadde	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	87.704	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	11.827	PF
94	Sirsi	Kudegod	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	541.23	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	65.516	PF
			GNNO.9057 OF 22.12.1903 PAGES 1582 PART -I BGG	78.754	PF
			GNNO.S-36/9/6895/A OF 16.11.1921 PAGES 2985-2986 PART-I BGG		PF
95	Sirsi	Talekeri	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	247.47	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	55.117	PF
96	Sirsi	Danmav	GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	392.59	PF
			GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	178.29	RF
97	Sirsi	Vajgod	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	120.22	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	126.45	PF
			GNNO.9057 OF 22-12-1903 PAGES 1582 PART I BGG		PF
			GNNO.S-36/9/6896A OF 16.11.1921 PAGES 2980-2987 PART I BGG		PF
98	Sirsi	Keremane	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	210.76	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	224.22	PF
			GNNO.9057 OF 22.12.1903 PAGES 1582 PART I BGG		PF
			GNNO.S-35/9/5993 OF 24.10.1921 PAGES 2632-2633 PART-I BGG		PF
99	Sirsi	Masalemakki	GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	13.223	PF
			GNNO.S-36/9/5993 OF 24.10.1921 PAGES 1098 PART-I BGG	8.418	PF
100	Sirsi	Suttalmane	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	230.66	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	42.968	PF
			GNNO.S-35/9/5993/A OF 24.10.1921 PAGES 24632-2633 PART-I BGG	13.173	PF
101	Sirsi	Hukali	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	478.93	RF
			GNNO.2192/3.4.1902 PAGES 564-602 PART -I BGG OF 3.4.1902.	46.747	PF
			GNNO.S-35/9/5993 OF 28.11.1921	16.734	PF

			PAAGES 2632-2633 PART-I BGG		
102	Sirsi	Kudugunda	GNNO.7796 OF 15.8.1906 PAGES 1098-1099 PART-IBGG OF 16.8.1906	39.282	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902.	129.25	PF
			GNNO.S-35/9/5993 OF 24.10.1921 PAGES 2632-2633 PART I BGG		PF
103	Sirsi	Hemgar	GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902	163.44	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	239.58	PF
			GNNO.S-35/9/5970A OF 24.10.1921 PAAGES 2632-2633 PART-I BGG		PF
			GNNO.2192/B OF 3.4.1902 PAGES 605-632 PART-I BGG OF 17.4.1902		RF
104	Sirsi	Kulibidu	GNNO.4991 OF 19.7.1902 PAGES 1210 PARTI BGG	125.33	RF
			GNNO.2192 OF 3.4.1902 PAGES 564-602 PART-I BGG OF 17.4.1902	55.209	PF
			GNNO.S-35/9/5970/A OF 24.10.1921 PAGES 2632 PART I BGG	19.425	PF
105	Sirsi	Malemane	GNNO.2192-B OF 03.04.1902 PAGES 605-632, PART I BGG OF 17-04-1902	317.96	RF
106	Sirsi	Hejani	GNNO.2192 OF 03-04-1902, PAGES 605-632, PART I BGG OF 17-04- 1902	27.136	RF
			GNNO.2192 OF 03-04-1902, PAGES 605-632, PART I BGG OF 17-04- 1902 GNNO. S- 36/9/59-93 OF 24-10-1921 PAGES 2632-2633, PART I BGG OF 27-10- 1921	2.285	PF
107	Sirsi	Kodkani	GNNO.2192 OF 03-04-1902, PAGES 562-602, PART I BGG OF 17-04- 1902	5.495	PF
			GNNO.2192 OF 03-04-1902, PAGES 605-632, PART I BGG OF 17-04- 1902	235.25	RF
	TOTAL			41699.85	

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.